राजस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

Developement Agreement

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP179092021A1261003
पंजीकरण की तिथि	14/03/2021
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	15/03/2021
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	15350800
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	NA
पंजीयन शुल्क (रूपये)	123307
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	384770
उप पंजीयक का नाम	PRADEEP NIGAM
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

Size in Het
268/1/2 - 0.569
268/5/1 - 0.759
256/3 - 1.265
Total 2.593

सम्पति का स्वामी - स्वयं

नाम: शकुनबाई चौधरी
पिता/पति का नाम: श्री रमेशचंद्र चौधरी
पता: 106/2, परदेशीपुरा, इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

नाम: राजवीर चौधरी
पिता/पति का नाम: श्री रमेशचंद्र चौधरी
पता: 106/2, परदेशीपुरा, इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

नाम: रणवीरसिंह चौधरी
पिता/पति का नाम: श्री रमेशचंद्र चौधरी
पता: 106/2, परदेशीपुरा, इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

निर्माता / डेवलपर स्वयं

संगठन का नाम: शिखर रियल टेक
अधिकृत व्यक्ति का नाम: श्री गोविन्द मित्तल
पता: 409 शेखर सेन्ट्रल, पलासिया स्क्वेयर, इंदौर , इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed
by PRADEEP
NIGAM
Date: 2021.03.15
12:11:35 IST

राजस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

सहमतिकर्ता

नाम	श्रीमती पूजा माहोरे
पिता/पति का नाम	श्री विजय माहोरे
पता	11, तिरूपति नगर, एरोड्रम रोड, इंदौर , इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

उप पंजीयक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011712032021012908		
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	384770		
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	384770	नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	0
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0	उपकर राशि (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0		
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक		
निर्गमन तिथि एवं समय	12/03/2021 16:29:38		
यूजर आईडी / जारीकर्ता	MAMTA LADDHA/SP011743005201500079		
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	UG-3, MANORAM TOWER, 32\2, MOTI TABELA, INDORE इन्दौर इंदौर		

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	करार या करार का ज्ञापन
लिखत	यदि वह भूमि के स्वामी या पत्तेदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि के विकास एवं /अथवा उस पर भवन के निर्माण सम्बंधित है - वही शुल्क जो विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भाग के केवल उस भाग के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगता है जो की विकासकर्ता द्वारा संयुक्तः या पृथक्तः धारित / विक्रीत की जाने वाली विकसित संपत्ति के अनुपात में हो, या उस शुल्क का आधा जो विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र(क्रमांक २५) पर लगता है, इनमें से जो भी अधिक हो
उद्देश्य	Agg.

पहले पक्ष के विवरण

नाम	रणवीरसिंह चौधरी
पता	106/2, परदेशीपुरा, इंदौर
व्यक्तियों की संख्या	3

दूसरे पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	शिखर रियल टेक
पता	409 शेखर सेन्ट्रल, पलासिया स्क्वेयर, इंदौर
व्यक्तियों की संख्या	1

मगरखेडा

// भूमि विकास का अनुबंध लेख //

1. शकुनबाई पति स्व. श्री रमेशचंद चौधरी
उम्र 56 वर्ष
2. राजवीर चौधरी पिता स्व. श्री रमेशचंद चौधरी
उम्र 35 वर्ष, धंधा – व्यवसाय
3. रणवीरसिंह चौधरी पिता स्व. श्री रमेशचंद चौधरी, उम्र 33 वर्ष, धंधा – व्यवसाय
सभी निवासी 106/2, परदेशीपुरा, इंदौर.. प्रथमपक्ष/भूमिस्वामी

जिन्हे वर्तमान लेख में सुविधा की दृष्टि से "प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है।

श्रीमती पूजा माहोरे पति श्री विजय माहोरे (पुत्री श्रीमती शकुनबाई)
निवासी – 11, तिरूपति नगर, एरोड्रम रोड, इंदौर

जिन्हें वर्तमान लेख में सुविधा की दृष्टि से "सहमतिदाता" के नाम से सम्बोधित किया गया है।
एवं

शिखर रियल टेक
पता – 409 शेखर सेन्ट्रल, पलासिया स्क्वेयर, इंदौर तर्फे भागीदार
श्री गोविन्द मित्तल पिता श्री रामपाल मित्तल..द्वितीयपक्ष

जिन्हें वर्तमान लेख में सुविधा की दृष्टि से "द्वितीय पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है। के मध्य निम्नानुसार दायित्यों के अधीन लिखा जा रहा है कि:–

1.यह कि, ग्राम मगरखेडा, तहसील सांवेर जिला इंदौर के पटवारी हल्का नंबर 39 राजस्व निरीक्षक मण्ड 02 धरमपुरी के अन्तर्गत स्थित निम्न वर्णन की कृषिभूमि प्रथमपक्ष के संयुक्त निजी स्वत्व एवं आधिपतय की है। उक्त भूमि प्रथमपक्ष के खाते की होकर राजस्व अभिलेखों में तथा अन्य शासकीय अभिलेखो में बतौर एकमेव भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी प्रथमपक्ष के नाम पर भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक एल क्रमांक आई 33171 जारी की गई है। उक्त भूमि का डायवर्शन नहीं हुआ है। उक्त भूमि अविकसित हैं प्रथमपक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त भूमि का विवरण एवं चतुःसीमा निम्नानुसार है :–

अनु.	खसरा नंबर	रकबा	लगान
1.	268/1/2	0.569	9.45
2.	268/5/1	0.759	5.66
3.	268/6	1.265	4.68
योग	03	2.593	19.79

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Presentation Seal:

शिखर रियल टेक

Represented By:- श्री गोविन्द मित्तल

के द्वारा उप जिला इन्दौर जिला इंदौर के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 14/03/2021 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात 01:46:55 बजे प्रस्तुत किया गया।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

उक्त भूमि की चतुःसीमा निम्नानुसार है :-
पुर्व :खसरा नंबर 268/5/2 की भूमि
पश्चिम :खसरा नंबर 265 की भूमि
उत्तर :खसरा नंबर 256/3 व शिखर डेवकान की भूमि
दक्षिण : खसरा नंबर 268/2/1 व 268/2/2 की भूमि,

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रथमपक्ष की पैतृक संपत्ति है तथा सहमतिदाता, प्रथमपक्ष के परिवार के सदस्य है, इस कारण से भविष्य में द्वितीयपक्ष को उक्त कृषि भूमि के स्वत्व को लेकर किसी प्रकार की कोई वैधानिक परेशानी उत्पन्न नही होवे इसलिए प्रथमपक्ष के साथ सहमतिदाता को भी आवश्यक पक्षकार मानते हुए इस लेख में सम्मिलित किया जा रहा है। सहमतिदाता बगैर कोई प्रतिफल प्राप्त किए इस लेख में अपने हस्ताक्षर रहे है।

2.यह कि, चरण क्रमांक 1 में वर्णित उक्त सम्पूर्ण भूमि अर्थात कुल रकबा 2.593 हैक्टेयर में से 2.530 हैक्टेयर (10.00 बीघा) होकर इस विकास अनुबंध लेख की विषयवस्तु है, जिसे सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से इस लेख में "उक्त भूमि" के नाम से संबोधित किया गया है।

3.यह कि, उक्त भूमि वर्तमान में प्रथम पक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर उन्हें उक्त भूमि के बाबद यह अनुबंध लेख निष्पादित करने का तथा संव्यवहार करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त हें उक्त भूमि नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र में स्थित नहीं है। उक्त भूमि ग्राम मगरखेड़ा, तहसील सांवेर जिला इंदौर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग पर स्थित नहीं है। उक्त भूमि मुखय जिला मार्ग या अन्य जिला मार्ग या अन्य पक्के सडक मार्ग पर भी स्थित नहीं है। उक्त भूमि पक्के सडक मार्ग से अंदर की ओर स्थित है।

4.यह कि, द्वितीयपक्ष जिसका पंजीकृत कार्यालय इंदौर शहर में स्थित है। द्वितीय पक्ष अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय, विकास एवं निर्माण इत्यादि का व्यवसाय करता है। श्री गोविन्द मित्तल, द्वितीयपक्ष के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होकर उन्हें इस नाते से अनुबंध लेख निष्पादित करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं द्वितीय पक्ष की ओर से सभी प्रकार के वैधानिक कार्यवाहियां करने के लिए समस्त प्रकार के दस्तावेजों के पंजीयन इत्यादि की कार्यवाही संपादित करने के लिए अपने प्रस्ताव के द्वारा अधिकृत किया हुआ है। द्वितीय पक्ष को कॉलोनी विकास इत्यादि के कार्यो का अच्छा अनुभव है तथ उनके पास योग्य, सक्षम एवं अनुभवी व्यक्तियों का साधन, सम्पन्न समूह हैं

5.यह कि, प्रथम पक्ष अपनी उपरोक्त भूमि द्वितीय पक्ष के आर्थिक व सहयोग से भूमि का विकास कार्य पूर्ण कराकर मौके पर आवासीय कॉलोनी विकसित करवाना चाहते है, इस हेतु प्रथमपक्ष ने अपना प्रस्ताव द्वितीय पक्ष के समक्ष रखा, जिसे द्वितीय पक्ष ने स्वीकार कर लिया है।

6.यह कि, उक्त भूमि पर, मौके पर जो कॉलोनी विकसित की जावेगी, उसका पटवारी ट्रेस इस अनुबंध लेख के साथ "एनेक्चर ए" के रूप में संलग्न किया गया है जो कि द्वितीय पक्ष के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम व अन्य प्रचलित विधि विधान अनुसार ही तैयार करवाया गया है। उक्त संलग्न मानचित्र भी इस

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Admission Seal:

शकुनबाई चौधरी		W/O श्री रमेशचंद्र चौधरी	Address: 106/2, परदेशीपुरा, इंदौर
राजवीर चौधरी		S/O श्री रमेशचंद्र चौधरी	Address: 106/2, परदेशीपुरा, इंदौर
रणवीरसिंह चौधरी		S/O श्री रमेशचंद्र चौधरी	Address: 106/2, परदेशीपुरा, इंदौर
शिखर रियल टेक	Represented By:-	श्री गोविन्द मित्तल	Address: 409 शेखर सेन्ट्रल, पलासिया स्क्वेयर, इंदौर

स्वीकार करते हैं कि कथित करार या करार का ज्ञापन विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूपए 0 प्राप्त हो गये हैं तथा रूपए 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूपए 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी । तारीख 14/03/2021

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

अनुबंध लेख का अभिन्न अंग माना जावेगा।

7.यह कि, उक्त कॉलोनी में प्रथम पक्ष का भूमि के रूप में तथा द्वितीय पक्ष का उक्त भूमि के विकास एवं मौके पर कॉलोनी विकसित करने की लागत, सुपरविजन आदि कार्य संपादन व मेहनत के रूप में विनियोजन रहेगा।

8.यह कि, उक्त भूमि पर आज दिनांक के पश्चात् कॉलोनी के विकास कार्य प्रारंभ करने के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा सभी संबंधित कार्यालयों, विभागों, निकायों, निगमों इत्यादि से वांछित अनुमति या अनापत्तियां, स्वीकृतियां, प्रमाण पत्र इत्यादि प्राप्त किए जावेंगे तथा उक्त भूमि का कृषि भिन्न प्रयोजनार्थ व्यपवर्तन करवाया जावेगा। उक्त कार्यवाही में जहां-जहां भी प्रथमपक्ष के हस्ताक्षर, उपस्थिति, सहमति, बयान, प्रमाण इत्यादि की आवश्यकता होगी, वहां-वहां प्रथम पक्ष अपना पूर्ण सहयोग द्वितीयपक्ष को प्रदान करेंगे, जिसके लिए प्रथमपक्ष वचनबद्ध रहेंगे। यदि द्वितीयपक्ष चाहेंगे तो उपरोक्त कार्यवाहियां संपादित करवाने के लिए अपने किसी भी अधिकृत व्यक्ति के हित में प्रथमपक्ष से आम मुखत्यार नामा भी निष्पादित करवा सकेंगे। इन समस्त कार्यवाहियों को पूर्ण करने में होने वाला व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।

9.यह कि, प्रथम पक्ष ने इस अनुबंध लेख के माध्यम से द्वितीय पक्ष को मौके पर उपरोक्तानुसार उक्त भूमि का विकास कार्य प्रदान करने की अनुमति व कब्जा प्रदान कर दी है। द्वितीय पक्ष कॉलोनी विकास से संबंधित वांछित अनुमतियां, अनातियां आजपत्तियां, स्वीकृतियां, अनुमोदन प्रमाण पत्र इत्यादि प्राप्त होने पर भूमि का विकास कार्य प्रारंभ करेंगे। यह विकास कार्य मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम कालोनी का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्ते नियमों के अनुसार मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कॉलोनी का विकास नियम 2014 का भू-सम्पदा विनियम प्राधिकरण रेरा के अनुसार द्वितीयपक्ष करेंगे।

10.यह कि, भूमि का डायवर्शन हो जाने तथा कॉलोनी के विकास से संबंधित वांछित अनुमतिया, अनातियां आजपत्तियां, स्वीकृतियां, अनुमोदन प्रमाण पत्र इत्यादि प्राप्त होने के दिनांक से 24 माह के अन्दर उक्त भूमि का संपूर्ण विकास कार्य पूर्ण करवाएंगे। ग्रेस पीरियड 6 माह का रहेगा।

11.यह कि, उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष अपने स्वयं के आर्थिक स्त्रोतो, व्ययों एवं समस्त प्रकार के दायित्वो पर भूमि का विकास करवाऐंगे तथा मौके पर एक आवासीय कॉलोनी विकसित करेंगे, जिसमें मौके की भौगोलिक स्थिति के अनुसार विभिन्न आकार-प्रकार (साईजो) के भूखण्ड काटे जावेंगे। प्रथम पक्ष अपनी इच्छा एवं विवेक अनुसार कॉलोनी का नाम रख सकेंगे। यदि भूमि की सीमा में कोई फर्क आता है तो इंजीनियर की सलाह अनुसार योग्य निर्धारण कर कार्य किया जावेगा।

12.यह कि, भूमि विकास के आशय मौके पर स्वीकृत अभिन्यास अनुसार एक पूर्ण विकसित कॉलोनी का विकास करने से है, जिसमें वॉटर लाईन, ड्रेनेज लाईन, जल-मल निकास हेतु सेपटिक टैक, डब्ल्यू एम रोड, बेस पर सीमेंट कांक्रीट कालोनी परिसर में पक्की बाउण्ड्री वॉल, फुटपाथ पर पेवरबंद लगाना, मेनगेट विकसित, गार्डन, अंडर ग्राउण्ड/ओव्हर हेड टैंक, विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिक पोल, कन्डक्टर, ट्रांसफार्मर, कॉलोनी के अंदर आने-जाने का रास्ता इत्यादि सभी बुनियादी सुख-सुविधा सम्मिलित है, जैसा कि पूर्ण विकसित कॉलोनी की परिभाषा में प्रस्तावित है।

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

haripal ji	पुत्र/आत्मज harnam ji	पता: 125 rukhmani nagar indore
omprakash choudhary	पुत्र/आत्मज mangilal ji	पता: 94 badi bhamori indore

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 14/03/2021

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर

13.यह कि, भूमि विकास एवं कॉलोनी विकसित करने व तत्सबंधी निर्माण हेतु इंजीनियर आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रेक्टर, कॉन्ट्रेक्टर, सब-कॉन्ट्रेक्टर, ठेकेदार व मजदूरों इत्यादि की नियुकित भी द्वितीय पक्ष के द्वारा ही अपने स्वयं के व्यय एवं दायित्वो पर करेंगे।

14.यह कि, संक्षेप में इस लेख का सार यह है कि उक्त भूमि का विकास करने एवं मौके पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने में प्रथम पक्ष की भूमि के रूप में निक्षेप रहेगा। मौके पर द्वितीय पक्ष द्वारा उक्तानुसार जो विकास कार्य करवाया जावेगा, उसके एवज में प्रतिफल स्वरूप उन्हे उपरोक्त कॉलोनी में विकसित किए जाने वो भूखण्डों के लिए नेट प्लाटिंग एरिये का 40 प्रतिशत हिस्सा मालिकी हक्क प्राप्त होगा जो कि द्वितीय पक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य का माना जावेगा। इसी प्रकार मौके पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त भूमि के निवेश के प्रतिफल स्वरूप उन्हे कुल मिलाकर उपरोक्त कॉलोनी में विकसित किए जाने वाले भूखण्डों के नेट प्लाटिंग एरिये का 60 प्रतिशत हिस्सा प्रथम पक्ष व मालिकी हक्क पर प्राप्त होगा जो कि प्रथम पक्ष के एकमात्र निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य का माना जावेगा।

15.यह कि, इस लेख के अन्तर्गत भूखण्डों का बंटवारा पूरे क्षेत्र में से 10 बीघा समान रूप से आनुपातिक दर पर किया जावेगा। प्रथम पक्ष को जो-जो विकसित भूखण्ड प्राप्त होंगे, उनका विवरण इस लेख के साथ संलग्न "एनेक्चर-बी" में तथा नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। इसी प्रकार इस लेख के अन्तर्गत जो-जो विकसित भूखण्ड द्वितीय पक्ष को प्राप्त होंगे, उनका विवरण इस लेख के साथ संलग्न "एनेक्चर-सी" में तथा नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है। उक्त दोनों संलग्न एनेक्चर भी इस लेख के अभिन्न अंग माने जावेंगे। यदि टेन्टेटिव प्लान में संशोधन होता है तो तदनुसार संशोधित (रिवाईज्ड प्लान) संलगन किया जावेगा।

16.यह कि, इसके अलावा उक्त कॉलोनी के उद्यान, सड़क, शामलाती जल, विद्युत, जल-मल निकास, बोरवेल, मोटर-पम्प कुआ आदि की टंकियां ड्रेनेज सुविधा, शामलाती स्थान, अन्य खुली भूमि तथा सामूहिक उपयोग-उपभोग की अन्य सभी प्रकार की वस्तुएं, यंत्र, उपकरण, साानि एवं अन्य शामलाती सुख-सुविधाऐं इत्यादि उभयपक्षों के काम उपयोग - उपभोग की रहेगी, जिन पर दोनों पक्षों को अपने-अपने अनुपात के हिसाब से अधिकार रहेगा।

17.यह कि, भूमि के निवेश के एवज में प्रथम पक्ष को उक्त कॉलोनी में जो विकसित भूखण्ड प्राप्त होंगे, वे समस्त भूखण्ड प्रथम पक्ष के एकमेव निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य के रहेंगे, जिनका वे बतौर स्वामी एवं आधिपत्यधारी नाते से अपनी इच्छा एवं सुविधानुसार उपयोग-उपभोग करने का या उन्हे अपनी इच्छा एवं सुविधानुसार अन्य पक्षों को विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित, अनुबंधित, विक्रय बुकिंग इतयादि करने के अधिकारी रहेंगे तथा ऐसे विक्रय/अतरण संव्यवहारें से प्रात होने वाली समस्त राशियों पर भी सिर्फ संबंधित प्रथम पक्ष की ही अधिकार रहेगां प्रथम पक्ष अपने हिस्से में आने वाले पूर्ण विकसित भूखण्डों के विषय में लगने वाले समस्त प्रकार के कर, भार, टैक्सेस, इत्यादि व्ययों का वहन कालोनी की पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात करते रहेंगे, इसमें द्विती पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।

18.यह कि, इसी प्रकार प्रस्तावित भूमि विकास एवं मोके पर उक्तानुसार कॉलोनी विकसित करवाने की लागत के निवेश के एवज में इस लेख के अंतर्गत द्वितीय पक्ष को उक्त कॉलोनी में जो विकसित भूखण्ड प्राप्त

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

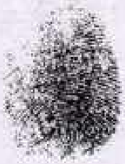

इस दस्तावेज के निष्पादक शकुनबाई चौधरी पत्नी श्री रमेशचंद्र चौधरी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 14/03/2021 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

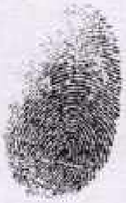

इस दस्तावेज के निष्पादक राजवीर चौधरी पुत्र/आत्मज श्री रमेशचंद्र चौधरी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 14/03/2021 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

होंगे, वे समस्त भूखण्ड द्वितीय पक्ष के एकमेव निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य के रहेंगे, जिनका वे बतौर एकमेव स्वामी एवं आधिपत्यधारी नाते से अपन इच्छा एवं सुविधानुसार उपयोग-उपभोग करने का या उन्हें अपनी इच्छा एवं सुविधानुसार अन्य पक्षों को विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित, अनुबंधित, विक्रय बुकिंग इत्यादि करने के अधिकारी रहेंगे तथा ऐसे विक्रय/अंतरण संव्यवहारों से प्राप्त होने वाली समस्त राशियों पर भी सिर्फ द्वितीय पक्ष का ही अधिकार रहेगा, द्वितीय पक्ष अपेन हिस्से के भूखण्ड की रजिस्ट्रियां वगैरह अपने हस्ताक्षर से करने के अधिकारी रहेंगे। द्वितीय पक्ष अने हिस्से में आने वाले उक्त भूखण्डों के विषय में लगने वाले समस्त प्रकार के कर, भार, टैक्सेस, मेन्टेनेंस इत्यादि व्ययों को वहन करते रहेंगे, इसमें प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।

19.यह कि, प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष अपने-अपने हिस्से वाले भूखण्डों इत्यादि को यदि अन्य पक्षों को विक्रय या अन्यत्र प्रकार से हस्तान्तरित वगैरह करते हैं तो ऐसे संबंधित दस्तावेजों में दूसरे पक्ष के हस्ताक्षर, सहमति, उपस्थिति, अंगूठा निशानी इत्यादि की आवश्यकता होने पर ये दोनों या अपना-अपना पूर्ण सहयोग आपस में एक-दूसरे को प्रदान करेंगे।

20. यह कि, द्वितीयपक्ष विकासकर्ता ने इस संव्यवहार के संबंध में कुल रूपये 66,00,000/- (अक्षरी छांछट लाख मात्र) बतौर सिक्यूरिटी भूमिस्वामी प्रथम पक्ष को अदा करेंगे।

21.यह कि, कॅालोनी के जो विकसित भूखण्ड
धरोहर पेटे शासन के पक्ष मे गिरवी रखे जावेंगे, वे द्वितीय पक्ष के द्वारा रखे जावेंगे तथा धरोहर मुक्ति लेख, निष्पादन/पंजीयन आदि कार्यवाही में होने वाला समस्त व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेंगे। संपूर्ण विकास कार्य विधिवत द्वितीय पक्ष द्वारा करने के बाद बंधक भूखण्ड को मुक्त करवाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। संबंधित ग्राम पंचायत या नगर परिषद को हेण्डओवर करेंगे तथा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रथमपक्ष को सौपेंगे।

22.यह कि, इसी प्रकार कालोनी के ई.डब्ल्यू.एस/एल.आइ.जी. श्रेणी के भूखण्डों का आपसी बंटवारा भी दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने हिस्से तथा अनुपात अनुसार किया जावेगा।
23.यह कि, द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को सिक्यूरिटी डिपाजि की राशि पेटे कुल राशि रूपये 66,00,000/- (अक्षरी छांछट लाख मात्र) दिये है :-
रूपये 21,00,000/-अक्षरी रू. इक्कीस लाख मात्र एचडीएफसी बैंक के चेक नंबर 000225 दिनांक 01-05-2019 के द्वारा रणवीर ने प्राप्त कर लिए हैं।
रूपये 20,00,000/-अक्षरी रू. बीस लाख मात्र एचडीएफसी बैंक के चेक नंबर 000307 दिनांक 26-08-2019 के द्वारा शकुनबाई ने प्राप्त कर लिए हैं।
रूपये 20,00,000/-अक्षरी रू. बीस लाख मात्र एचडीएफसी बैंक के चेक नंबर 000308 दिनांक 26-08-2019 के द्वारा राजवीर ने प्राप्त कर लिए हैं।
रूपये 5,00,000/-अक्षरी रू. पांच लाख मात्र एचडीएफसी बैंक से आरटीजीएस दिनांक 28-01-2020 के द्वारा शकुनबाई ने प्राप्त कर लिए हैं।

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

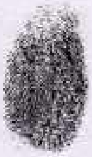

इस दस्तावेज के निष्पादक रणवीरसिंह चौधरी पुत्र/आत्मज श्री रमेशचंद्र चौधरी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 14/03/2021 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

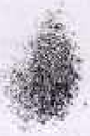

स दस्तावेज के निष्पादक श्री गोविन्द मित्तल के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति
दिनांक 14/03/2021 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

रूपये 66,00,000/- योग (अक्षरी छांछट लाख मात्र)

24.यह कि, सदर भूमि के विकास कार्य बाबद द्वितीयपक्ष को उप ठेकेदार, लेबर, इंजीनियर्स व अन्य विशेषज्ञों इत्यादि की नियुक्ति का अधिकार रहेगा तथा उनका भुगतान भी द्वितीयपक्ष द्वारा किया जावेगा तथा उनकी सेवा शर्त व यिम इत्यादि भी द्वितीयपक्ष द्वारा तय किये जावेंगे, जिसमें प्रथमपक्ष को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का या आपत्ति उका कोई अधिकार नहीं रहेगा। यदि कोई अपरिहार्य स्थिति निर्मित होती है या कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों, हानियों का उत्तरदायित्व द्वितीयपक्ष का रहेगा। प्रथमपक्ष इस दायित्व से पूर्णरूपेण स्वतंत्र रहेंगे। मध्यप्रदेश शासन के भवन और अन्य सनिमा्रण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के अंतर्गत उपकर की राशि जमा करवाकर प्राप्त रसीद की छाया प्रति प्रथमपक्ष को सौपेंगे।
26.यह कि, द्वितीयपक्ष अपनी संतुष्टि के लिये किसी भी समाचार पत्र में जाहिर सूचना का प्रकाशन करवा सकेंगा। जाहिर सूचना के प्रकाशन पश्चात् यदि उक्त संव्यवहार बाबद किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आई तो ऐसी आपत्ति का निराकरण प्रथमपक्ष अपने खर्च के उत्तरदायित्व पर करवायेंगे। आपत्ति के निराकरण में जो भ[illegible] समय लगेगा, उतनी अवधि के लिये भी यह अनुबंध लेख बिना किसी अग्रिम सूचना के स्वमेव ही आगे बढता रहेगा और निरन्तर अस्तित्व में रहते हुए प्रभावशील रहेगा।
27.यह कि, प्रथमपक्ष स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि उक्त भूमि उनके एकमेव निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर उन्हें उक्त भूमि के विषय में द्वितीयपक्ष के साथ यह संव्यवहार करने का तथा यह अनुबंध लेख निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रथमपक्ष यह भी कथन करते हैं कि उन्होंने उक्त भूमि को या उसके किसी भी भाग को अन्य किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को विक्रय,, बक्षिस, लीज, विनिमय, दान, गिरवी इत्यादि द्वारा या अन्यत्र प्रकार से हस्तान्तरित, अनुबंधित, भारित या बोझित नहीं किया है और न ही किसी अन्य व्यक्ति अथ्वा संस्था इत्यादि को जोतने, जुतवाने, हांकने, हंकवाने, बटाई, अधबंटाई इत्यादि पर दी है। प्रथमपक्ष यह भी कथन करते हैं कि उन्होंने उक्त भूमियों बाबद अन्य किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इत्यादि के पक्ष में कोई आम या खास मुखत्यार नामा वगैरहा भी निष्पादित नही किया है। उक्त भूमि किसी भी न्यायालयीन डिक्री, कुर्की, जप्ती या अटैचमेंट इत्यादि के अधिन भी नहीं है। उक्त भूमि प्रथमपक्ष की निजी संपत्ति होकर उसमें उनके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति, संस्था शासन स्वशासन कार्यालय विभाग निकाय इत्यादि का किसी भी प्रकार कोई स्वत्व, हित, हक्क, हिस्सा अधिकार या आधिपत्य इत्यादि विद्यमान नहीं है। उपरोक्त भूमि के बाबद कोई भी वाद-विवाद इत्यादि के समक्ष लंबित नहीं है। उक्त भूमि किसी भी शासकीय या अर्द्धशासकीय विभाग इत्यादि की योजना में सम्मिलित नही है।

28.यह कि, स्पष्ट रूप से यह भी घोषणा करते है कि उक्त भूमि सिलिंग से प्रभावित भूमि नहीं है और न ही अतिशेष घोषित की हुई है। उक्त भूमि किसी भी योजना वगैरह में सम्मिलित नहीं है और न ही अधिगृहित की कार्यवाही में समिलित है। उक्त भूमि भू-दान एवं शसाकीय पट्टे की नहीं है। उक्त भूमि पर अन्य किसी भी पक्ष का कोई रास्ता या दखल इत्यादि नहीं है। उक्त भूमि नजुल की भूमि नहीं है। उक्त भूमि देवस्थान या पीर स्थान की भूमि भी नहीं है। उक भूमि किसी भी अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति के सदस्य के नाम पर नहीं रही है और न ही वर्तमान में है। उक्त भूम उन्नीस सौ पच्चीस-छब्बीस के मिसल खसरा बन्दोबस्त में या कभी भी शासकीय भूमि के रूप में दर्ज नहीं रही है। यदि फिर भी इस प्रकार का या अन्य कोई वाद-विवाद या लेन-देन

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

सहमतिकर्ता मुद्रा :

श्रीमती पूजा माहोरे

इस दस्तावेज के सहमतिकर्ता श्रीमती पूजा माहोरे के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 14/03/2021 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

गवाह मुद्रा :

haripal ji

omprakash choudhary

अंतरण संव्यवहार भार या वाद-विवाद इत्यादि उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग के विषय में होना पाया गया या भूमि के स्वामित्व संबंधी कोई दोष होना पाया जाता है तो उसके समस्त प्रकार के हर्जे-खर्चे परिणामों की तथा उससे होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति की क्षतिपूर्ति की संपूर्ण जवाबदारी प्रथमपक्ष की रहेगी।

29.यह कि, यदि उपरोक्त भूमि के बाबद प्रथमपक्ष की मालकी एवं आधिपत्य के संबंध में वाद-विवाद एवं आपत्ति इत्यादि की स्थिति में उनके निराकरण में जो भी समय लगेगा, उतनी अवधि के लिये भी यह अनुबंध लेख बिना किसी अग्रिम सूचना के स्वमेव ही आगे बढता रहेगा और निरन्तर अस्तित्व मे रहते हुए प्रभावशील रहेगा और प्रथमपक्ष पर सतत स्वयं बंधनकारक रहेगा।

30.यह कि, उक्त भूमि पर प्लाट विकसित करने का समस्त कार्य द्वितीयपक्ष अपने स्वयं के खर्चे से करेंगे। एम.पी.एस.ई.बी. तथा मेंटेनेंस बाबद लगने वाले व्यय फिलहाल द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किये जावेंगे एवं बाद में उस भूखंड विक्रय के दौरान भूखण्ड धारकों से उनके प्लाटिंग एरिया अनुसार निर्धारित कर उनसे वसूल किये जावेंगे तथा ऐसी अवस्था में प्रथमपक्ष का प्राप्त होने वाले भूखण्डों के बाबद लगने वाले इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की राशि प्रथमपक्ष द्वारा भूखंडधारको से प्राप्त क रवह राशि द्वितीयपक्ष को बिना किसी आपत्ति के बिजली चार्ज होने के 6 माह में अदा की जावेगी, मेंटेनेंस शुल्क की राशि अनसोल्ड प्लाटस की 3 साल तक प्रथमपक्ष अदा नहीं करेंगे।

31.यह कि, प्रचलित टैक्स अधिनियम अनुसार आदि कर वहन करने की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की रहेगी, परंतु यदि सरकार/शसान द्वारा अन्य कोई टैक्स, भार, अनुबंध के बीच में आरोपित किये जाते हैं तो उभयपक्ष उसको वहन करेंगे तथा जो कि आनुपातिक रहेगा। इसी क्रम में भी उल्लेखित रहेगा कि कार्य के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उभयपक्ष अपने-अपने हिस्से के भूखण्डों का संपत्ति कर अन्य कर भार वगैरा वहन करेंगे।

32.यह कि, इस अनुबंध लेख के निष्पादन पश्चात् अब प्रथमपक्ष को उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग को अन्य किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन क्रय-विक्रय अंतरण व्यवहार इत्यादि करने का या उस पर किसी भी प्रकार का ऋण-बोझ रहन इत्यादि भार कायम करने का अधिकार नहीं रहेगा।

33.यह कि, इस लेख के निष्पादन से किसी प्रकार की भागीदारी का सृजत नहीं होता है तथा न ही यह संव्यवहार ज्वाईन्ट व्हेन्चर की परिभाषा में आता है।

34.यह कि, इस लेख की किसी भी शर्त के इन्टरप्रिटेशन के संबंध में या इस संव्यवहार के संबंध में उभयपक्षों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद या मतभेद इत्यादि उत्पनन होता है तो उस दशा में ऐसे विवाद/मतभेद का निराकरण आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोर्ट के निर्देशानुसार नामित व्यक्ति द्वारा ही हल किया जावेगा जिसका न्यायिक क्षेत्राधिकार शहर इंदौर के मान. न्यायालय को प्राप्त होगा।

35.यह कि, इस लेख का मूल विलेख द्वितीयपक्ष के पास रहेगा तथा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रथमपक्ष के पास रहेगी। इस लेख के निष्पादन एवं पंजीयन की कार्यवाही में होने वाले समस्त व्यय दोनों पक्षों द्वारा 50-50 प्रतिशत में वहन किये हैं।

36.यह कि, इस अनुबंध लेख में जहां-जहां भी प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के नाम का संबोधन किया गया है, उनमें उभयपक्ष स्वयं, उनके विधिक उत्तराधिकारी, प्रबंधक संचालकगण, डायरेक्टर्स इन्चार्ज प्रतिलिपि मुखत्यार प्रशासक, निष्पादक असाईनर एवं उभयपक्षों के अंतर्गत दावा एवं अधिकार रखने वाले समस्त

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्राः

स्टाम्प शुल्क	384770
नगरीय शुल्क	0
जनपद पंचायत शुल्क	0
उपकर	0
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	384770

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

हितबद्ध व्यक्ति भी सम्मिलित है।
37.यह कि, यदि द्वितीयपक्ष यदि आगे पीछे या पास की जमीन लेते हैं तो उसमें आगे जाने के लिये रोड का इस्तेमाल उपयोग व उपभोग प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष दोनो कर सकेंगे। इसमें उभयपक्षों की आपस में सहमति रहेगी एवं अलग से उभयपक्ष को ललग से सहमति की आवश्यकता नहीं रहेगी यह उभयपक्ष स्वीकार करते हैं।
38. यह कि, आपसी सहमति से उक्त कालोनी का नाम "पार्वती पार्क" रखा गया है।
अतः यह अनुबंध प्रथमपक्ष, सहमतिदाता एवं द्वितीयपक्ष ने आज दिनांक को पूर्ण होश हवास में पढ़कर, सुनकर, समझकर, इसे स्वीकार कर, इस पर अपने हस्ताक्षर कर, बिना किसी दबाव, धौस के स्वेच्छापूर्वक दो साक्षीकण के समक्ष किये हैं, ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे।

प्रथमपक्ष को प्राप्त भूखण्डों का वर्णनः-
भूखण्ड क्रमांक
01 से 37
56 से 73
94 से 135
176 से 198
एल.आई.जी. के भूखण्ड क्रमांक
01 से 06
ई. डब्ल्यु. एस. के भूखण्ड क्रमांक
06 से 12

द्वितीयपक्ष को प्राप्त भूखण्डों का वर्णनः-
भूखण्ड क्रमांक
38 से 55
74 से 93
136 से 175
199 से 219
एल.आई.जी. के भूखण्ड क्रमांक
07 से 10
ई. डब्ल्यु. एस. के भूखण्ड क्रमांक
01 से 05

This deed has been prepared, drafted and uploaded as per instructions,

information and facts provided by the parties of the deed. Advocate(s), who drafted this deed, and Service Provider, who has only booked the slot (and not involved in any activity of the viz. Drafting, typing of the deed, validity of the identity of the parties. Site photographs and entire facts, recitals and data of the deed), have not gone through the facts of the deed viz. Identity of the parties, ownership (title) of the owner(s), site photographs (if any), all the facts and recitals of the deed etc. So they (Advocate and Service Provider of this deed) will not take any responsibility whether criminal, civil, or taxation specially laws related to registration Act. 1908 Section 82 and all provision regarding any offence, penalty imprisonment under registration Act, rules, manuals, circulars etc, Indian Stamp Act 1899 and its rules, cyber law and all other acts, rules, circulars, and instructions of various officers/Authorities acts regarding above, I.e. Advocate(s) and Service Provider disowned all the legal, factual, criminal and all other responsibilities which are not mentioned in this Disclaimer.

Sanjeev Laddha, Advocate

संपत्ति विवरण अनुलग्नक

संपत्ति आईडी	1799202105569200
संपत्ति का प्रकार	कृषि भूमि

संपत्ति का सीमा चिन्ह : --

संपत्ति का पता : ग्राम मगरखेडा, तहसील सांवेर जिला इंदौर के पटवारी हल्का नंबर 39 राजस्व निरीक्षक मण्ड 02 धरमपुरी के अन्तर्गत स्थित खसरा नंबर 268/1/2एव268/5/1एव268/6

विकास खण्ड (विकास खंड) : --

राजस्व निरीक्षक वृत्त : --

लेआउट का विवरण : --

नजूल / शीट क्रमांक : --

भूखण्ड क्रमांक : --

खसरा का विवरण और चतुर्सीमा का विवरण

खसरा क्रमांक	खसरा क्षेत्रफल	लगान / भूमि राजस्व (रूपये)	ऋण पुस्तिका क्रमांक	उत्तरी सीमा	दक्षिण सीमा	पूर्व सीमा	पश्चिम सीमा
268/1/2एव268/5/1एव268/6	2.530	0	33171	खसरा नंबर 256/3 व शिखर	खसरा नंबर 268/2/1 व 268/2/2	खसरा नंबर 268/5/2 की भूमि	खसरा नंबर 265 की भूमि

अतिरिक्त अपलोड

R_1_0_0_0.jpg

R_2_1_1_1.jpg

R_0_2_2_2.jpg

K_3_3.jpg

K_4_4.jpg

K_5_5.jpg

K_6_6.jpg

जिला	इंदौर
तहसील	सॉवेर
क्षेत्र प्रकार	ग्राम - क्षेत्र
उप क्षेत्र प्रकार	नान प्लानिंग क्षेत्र
पटवारी हल्का / गांव	पटवारी हल्का न0 52
ग्राम / मोहल्ला / कालोनी	मगर खेडा (रोड से अंदर)
क्या एक से अधिक क्रेता है?	नहीं
क्या क्रेता एक ही परिवार के हैं?	नहीं
क्रेताओं की संख्या	0
क्या आप अपने हिस्से का खुलासा करना चाहते हैं?	नहीं
क्या कृषि भूमि पर पेड़ हैं?	नहीं
संपत्ति 1 : अव्यपवर्तित	
क्षेत्र का विवरण (हेक्टेयर)	

कुल क्षेत्रफल	असिंचित एक फसली भूमि का कुल क्षेत्रफल	असिंचित दो फसली भूमि का कुल क्षेत्रफल	सिंचित भूमि का क्षेत्रफल
2.53	0	0	2.53
क्या कृषि भूमि पर कोई निर्माण है?		नहीं	

सहमतिदाता का नाम	मुद्रांक शुल्क (रु)	नगरीय निकाय	जनपद शुल्क (रु)	उपकर शुल्क (रु)	मुद्रांक छूट	पंजीयन शुल्क छूट	छूट के पश्चात् कुल	छूट के पश्चात पंजीयन शुल्क
श्रीमती पूजा माहोरे	1000	0	0	0	0	0	1000	500

कुल मुद्रांक एवं छूट

छूट मुद्रांक शुल्क (रु)	0.0	छूट पंजीयन शुल्क (रु)	0.0
कुल देय शुल्क (रु)	384770.0	कुल देय पंजीयन शुल्क	123307.0
Developer Share(%)		40	

Party(Owner) Share(%)	60
Total No Of Developer	1

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 21621492 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011712032021012908 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

[illegible]

(1) [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

[illegible]

(3) [illegible]

For SHIKHAR REALTECH

[illegible]

Partner

अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

[illegible]

सहमतिकर्ता का विवरण :-

1. नाम श्रीमती पूजा माहौरे, पिता श्री विजय माहौरे इस विलेख में प्रतिफल के बिना या प्रतिफल 0रुपए के साथ अपनी सहमति देता हूँ।

[illegible]

ओमप्रकाश मांगीलाल चौधरी
गवाह 1 का नाम 94, बड़ी ग्वालटोली इन्दौर
पता ओमप्रकाश
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर
(आ.क्र. 7342 9256 8377)

गवाह 2 का नाम हरी S/O हरनाम पाल
पता 125, लक्ष्मण नगर, इन्दौर
हस्ताक्षर Hari Pal
आईडी का टाईप तथा नम्बर
(आ.क्र. 623705703737)

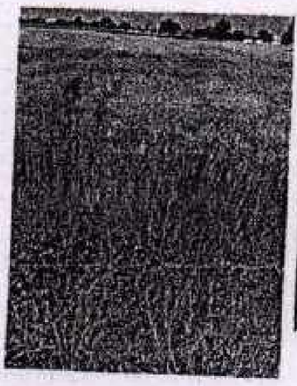
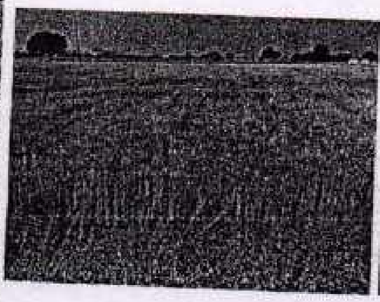
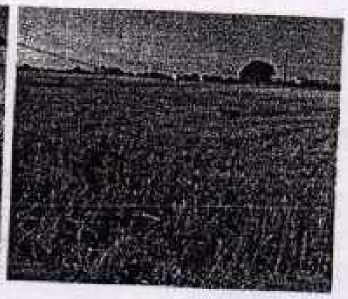

COLONY NAME :- PARVATI PARK

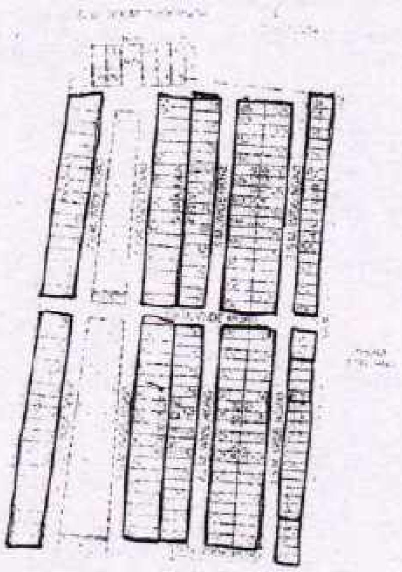

उक्त सिक्युरिटी डिपाजिट की राशि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को निम्नानुसार बगैर ब्याज के वापस लौटावेगे :–

रूपये 16,50,000/– (अक्षरी रूपये सौलह लाख पचास हजार मात्र) ड्रेनेज लाईन डालने पर ।
रूपये 16,50,000/– (अक्षरी रूपये सौलह लाख पचास हजार मात्र) डब्ल्यु. बी.एम. पर ।
रूपये 16,50,000/– (अक्षरी रूपये सौलह लाख पचास हजार मात्र) बाउण्ड्रीवाल के कार्य पर ।
रूपये 16,50,000/– (अक्षरी रूपये सौलह लाख पचास हजार मात्र) कांक्रीट रोड के कार्य पर ।

रूपये 66,00,000/– योग (अक्षरी छांछट लाख मात्र)

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रानिक पंजीयन दिनांक 14/03/2021 को क्रमांक MP179092021A1261003 दे कर किया गया है। जिसमें 38 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क	384770

पंजीयन शुल्क	123307
प्रतिलिपि शुल्क	0
अधिक	0
योग	123307

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

मध्य प्रदेश

First Amendment to Development Agreement with Shakun Bai & others

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण	
ई पंजीकरण संख्या	MP179092022A1608523
पंजीकरण की तिथि	08/06/2022
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	08/06/2022
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	1140880
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	NA
पंजीयन शुल्क (रूपये)	9128
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	57044
उप पंजीयक का नाम	PRADEEP NIGAM
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

सम्पत्ति का स्वामी - स्वयं

नाम	शकुन बाई
पिता/पति का नाम	श्री रमेशचन्द्र चौधरी
पता	106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत
नाम	राजवीर चौधरी
पिता/पति का नाम	श्री रमेशचन्द्र चौधरी
पता	106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत
नाम	रणबीरसिंह चौधरी
पिता/पति का नाम	श्री रमेशचन्द्र चौधरी
पता	106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

निर्माता / डेवलपर-स्वयं

संगठन का नाम	मेसर्स शिखर रियल टेक
अधिकृत व्यक्ति का नाम	श्री मनीष जैन
पता	409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed by PRADEEP NIGAM
Date: 2022.06.08 14:20:56 IST

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मध्य प्रदेश

उप पंजीयक के हस्ताक्षर

मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011707062022013987
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	57044
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	57044
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक
निर्गमन तिथि एवं समय	07/06/2022 19:16:19
यूजर आईडी / जारीकर्ता	Sanjay Laddha/SP011743206201500884
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	Third floor, 121/3, Shri Nagar, Indore इन्दौर इंदौर

नगर पालिका ड्यूटी (रुपए) 0
उपकर राशि (रुपए) 0

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	करार या करार का ज्ञापन
लिखत	यदि वह भूमि के स्वामी या पत्तेदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि के विकास एवं /अथवा उस पर भवन के निर्माण सम्बंधित है - वही शुल्क जो विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भाग के केवल उस भाग के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगता है जो की विकासकर्ता द्वारा संयुक्तः या पृथक धारित / विक्रीत की जाने वाली विकसित संपत्ति के अनुपात में हो, या उस शुल्क का आधा जो विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र(क्रमांक २५) पर लगता है, इनमें से जो भी अधिक हो
उद्देश्य	करार का ज्ञापन

पहले पक्ष के विवरण

नाम	रणवीरसिंह चौधरी
पता	106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	3

दूसरे पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	मेसर्स शिखर रियल टेक
पता	409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	1

मगरखेड़ा

// संशोधन – पत्र //

(1) श्रीमती शकुनबाई पति स्व. श्री रमेशचन्द्र चौधरी,
(2) राजवीर चौधरी पिता स्व. श्री रमेशचन्द्र चौधरी,
(3) रणवीरसिंह चौधरी पिता स्व. श्री रमेशचन्द्र चौधरी,
तीनों निवासीः 106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर-- -- प्रथमपक्ष

मेसर्स शिखर रियल टेक (भागीदारी फर्म)
पताः 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर तर्फे भागीदार
श्री मनीष जैन पिता श्री रखबचंदजी जैन-- -- द्वितीयपक्ष

प्रथमपक्ष यह संशोधन लेख द्वितीयपक्ष के हित में निम्न शर्तो एवं दायित्वों के अधीन निम्नानुसार निष्पादित कर देते हैं कि :-

(1) यह कि, प्रथमपक्ष के स्वामित्व की ग्राम मगरखेड़ा तहसील सांवेर जिला इन्दौर के पटवारी हल्का क्रमांक 39 में स्थित सर्वे नंबर 268/1/2 रकबा 0.569 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 208/5/1 रकबा 0.759 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 268/6 रकबा 1.265 हैक्टेयर होकर कुल रकबा 2.593 हैक्टेयर भूमि (जिसे इस लेख में आगे संक्षिप्त में "उक्त भूमि" कहा गया है) के संबंध में प्रथमपक्ष एंव द्वितीयपक्ष के मध्य दिनांक 14.03.2021 को भूमि विकास का अनुबंध निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक MP179092021A1261003 है।

उक्त पंजीकृत अनुबंध पत्र क्रमांक MP179092021A1261003 दिनांक 14.03.2021 के चरण क्रमांक 02 में भूलवश अनुबंधित की गई संपत्ति का रकबा 2.593 हैक्टेयर के स्थान पर 2.530 हैक्टेयर टाईप हो गया है, जबकि सर्वे नंबर, चतुःसीमा, रेशो आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही है, जिस हेतु प्रथमपक्ष यह संशोधन लेख द्वितीयपक्ष के हित में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा रहे है।

संशोधनः-
उक्त पंजीकृत अनुबंध पत्र क्रमांक MP179092021A1261003 दिनांक 14.03.2021 में जंहा-जंहा अनुबंधित भूमि का रकबा 2.530 हैक्टेयर टाईप है, उसके स्थान पर 2.593 हैक्टेयर, पढ़ा जावें।

(2) यह कि, उक्त पंजीकृत अनुबंध पत्र क्रमांक MP179092021A1261003 दिनांक 14.03.2021 की शेष शर्ते यथावत है। उक्त भूमि राज्य, जिला मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुखय मार्ग पर स्थित नही है तथा भूमि के सामने पक्की सड़क नही है।

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Presentation Seal:

शकुन बाई W/O श्री रमेशचन्द्र चौधरी

के द्वारा उप जिला इन्दौर जिला इंदौर के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 08/06/2022 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात 02:09:01 बजे प्रस्तुत किया गया।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

(3) यह कि, उपरोक्त संशोधन कोई नया व्यवहार नही है। दस्तावेज निष्पादन के समय भूलवश अनुबंधित भूमि का रकबा त्रुटिपूर्ण टंकित हो जाने से भविष्य में विकसित होने वाली कालोनी के स्वत्व संबंधी किसी प्रकार की कोई वैधानिक परेशानी उत्पन्न नही होवे इसलिए प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य यह संशोधन लेख निम्नानुसार निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया जा रहा है। यह संशोधन पत्र उपरोक्त पंजीकृत अनुबंध पत्र क्रमांक MP179092021A1261003 दिनाक 14.03.2021 का ही अभिन्न अंग माना जावेगा। इस संशोधन द्वारा किसी विधी विधान का उल्लघंन नही होता है। इस संशोधन पत्र के द्वारा प्रथमपक्ष का नाम, द्वितीयपक्ष का नाम, सर्वे नंबर, चतुःसीमा, रेशो आदि का संशोधन नही किया गया है। इस संशोधन पत्र से संपत्ति का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। भूमि के कुल रकबे में जो अंतर है, उस पर द्वितीयपक्ष द्वारा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क इस लेख के माध्यम से जमा किया जा रहा है।

(4) यह कि, इस संशोधन लेख द्वारा लिखत में अभिनिश्चित पक्षकारों के अधिकारों दायित्वों या विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही हो रहा है और ना ही मूल रूप से निष्पादित लिखत के विधिक प्रभाव में फेरफार हो रहा है।

(5) यह कि, द्वितीयपक्ष एक भागीदारी फर्म है तथा फर्म में उपस्थित सभी भागीदारों की परस्पर सहमति से उक्त भूमि के संबंध में समस्त कार्य करने हेतु श्री मनीष जैन पिता श्री रखबचंदजी जैन को अधिकृत किया है।

अतः यह संशोधन लेख आज दिनांक को प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हित में इस विलेख को बगैर कोई नशा-पानी किए, स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में सोच-समझकर, पढ़कर, सुनकर निम्न साक्षीगणों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया। सो प्रमाण रहे।
इन्दौर

This deed has been prepared, drafted and uploaded as per instructions, information and facts provided by the parties of the deed. Advocate(s), who drafted this deed, and Service Provider, who has only booked the slot (and not involved in any activity of the viz. Drafting, typing of the deed, validity of the identity of the parties. Site photographs and entire facts, recitals and data of the deed), have not gone through the facts of the deed viz. Identity of the parties, ownership (title) of the owner(s), site photographs (if any), all the facts and recitals of the deed etc. So they (Advocate and Service Provider of this deed) will not take any responsibility whether criminal, civil, or taxation specially laws related to registration Act. 1908 Section 82 and all provision regarding any offence, penalty imprisonment under registration Act, rules, manuals, circulars etc, Indian Stamp Act 1899 and its rules, cyber law and all other acts, rules, circulars, and instructions of various officers/Authorities acts regarding above, I.e. Advocate(s) and Service Provider disowned all the legal, factual, criminal and all other responsibilities which are not mentioned in this

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Admission Seal:

शकुन बाई		W/O श्री रमेशचन्द्र चौधरी	Address: 106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर
राजवीर चौधरी		S/O श्री रमेशचन्द्र चौधरी	Address: 106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर
रणवीरसिंह चौधरी		S/O श्री रमेशचन्द्र चौधरी	Address: 106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर
मेसर्स शिखर रियल टेक	Represented By:-	श्री मनीष जैन	Address: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर

स्वीकार करते है कि कथित करार या करार का ज्ञापन विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूपए 0 प्राप्त हो गये है तथा रूपए 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूपए 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी । तारीख 08/06/2022

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

Disclaimer.
Sanjeev Laddha, Advocate

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

OMPRAKASH CHOUDHARY	पुत्र/आत्मज MANGILAL JI	पता: 94 BADI BHAMORI INDORE MP
PRIYASH JAIN	पुत्र/आत्मज MANISH JAIN	पता: 18/3 NEW MAHESH NAGAR INDORE MP

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 08/06/2022

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

संपत्ति विवरण अनुलग्नक

संपत्ति आईडी	17992022207403319
संपत्ति का प्रकार	कृषि भूमि

संपत्ति का सीमा चिन्ह : --

संपत्ति का पता : ग्राम मगरखेड़ा तहसील सांवेर जिला के पटवारी हल्का क्रमांक 39 मे स्थित सर्वे नंबर 268/1/2, 208/5/1, 268/6

विकास खण्ड (विकास खंड) : --

राजस्व निरीक्षक वृत्त : --

लेआउट का विवरण : --

नजूल / शीट क्रमांक : --

भूखण्ड क्रमांक : --

खसरा का विवरण और चतुर्सीमा का विवरण

खसरा क्रमांक	खसरा क्षेत्रफल	लगान / भूमि राजस्व (रूपये)	ऋण पुस्तिका क्रमांक	उत्तरी सीमा	दक्षिण सीमा	पूर्व सीमा	पश्चिम सीमा
268/1/2वअन्य	0.063	0	NA	अन्य भूमि	अन्य भूमि	अन्य भूमि	अन्य भूमि

अतिरिक्त अपलोड

R_0_0_0.jpg

R_1_1_1.jpg

R_2_2_2.jpg

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

शकुन बाई

इस दस्तावेज के निष्पादक शकुन बाई पत्नी श्री रमेशचन्द्र चौधरी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 08/06/2022 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

राजबीर चौधरी

इस दस्तावेज के निष्पादक राजबीर चौधरी पुत्र/आत्मज श्री रमेशचन्द्र चौधरी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 08/06/2022 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

Madhya Pradesh

जिला	इंदौर
तहसील	सांवेर
क्षेत्र प्रकार	ग्राम - क्षेत्र
उप क्षेत्र प्रकार	प्लानिंग क्षेत्र
पटवारी हल्का / गांव	पटवारी हल्का न0 52..
ग्राम / मोहल्ला / कालोनी	मगर खेड़ा (रोड से अंदर)
क्या एक से अधिक क्रेता है?	नहीं
क्या क्रेता एक ही परिवार के है?	नहीं
क्रेताओं की संख्या	0
क्या आप अपने हिस्से का खुलासा करना चाहते है?	नहीं
क्या कृषि भूमि पर पेड़ है?	नहीं

संपत्ति 1 : अव्यपवर्तित

क्षेत्र का विवरण (हैक्टेयर)

कुल क्षेत्रफल	असिंचित एक फसली भूमि का कुल क्षेत्रफल	असिंचित दो फसली भूमि का कुल क्षेत्रफल	सिंचित भूमि का क्षेत्रफल
0.063	0	0	0.063

क्या कृषि भूमि पर कोई निर्माण है?	नहीं

कुल मुद्रांक एवं छूट

छूट मुद्रांक शुल्क (रु)	0.0	छूट पंजीयन शुल्क (रु)	0.0
कुल देय शुल्क (रु)	57044.0	कुल देय पंजीयन शुल्क	9128.0

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

इस दस्तावेज के निष्पादक रणवीरसिंह चौधरी पुत्र/आत्मज श्री रमेशचन्द्र चौधरी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 08/06/2022 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

इस दस्तावेज के निष्पादक श्री मनीष जैन के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 08/06/2022 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

गवाह मुद्रा :

OMPRAKASH CHOUDHARY

मै/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 28233440 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011707062022013987 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते है, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते है।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम:

[illegible]

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम :

SHIKHAR REA[illegible]

[illegible]

अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर
नाम तथा पिता का नाम

गवाह 1 का नाम [illegible]
पता [illegible]
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर [illegible]
73 4292568377

गवाह 2 का नाम [illegible]
पता [illegible]
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर [illegible]
4102 3774 1404

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

PRIYASH JAIN

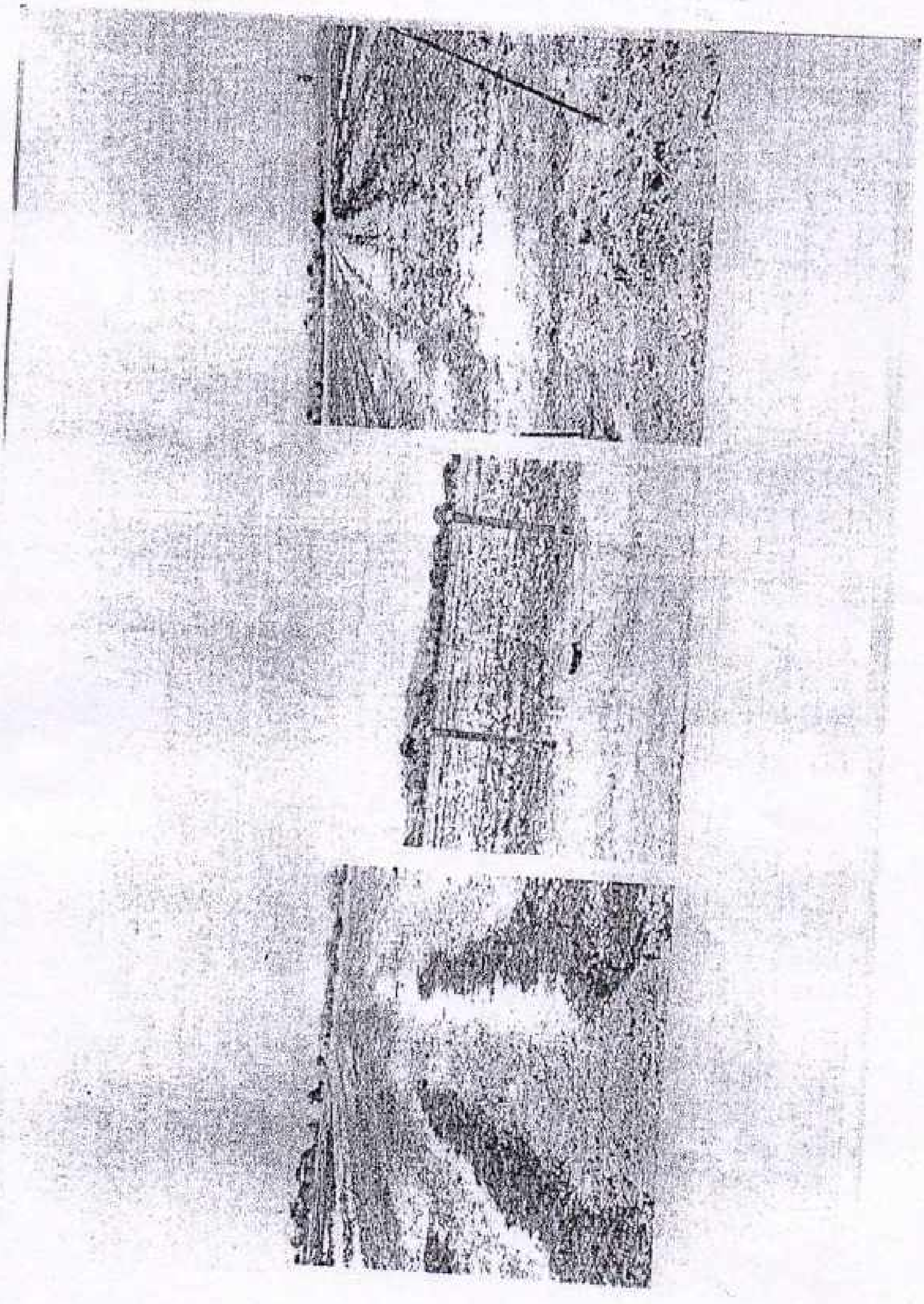

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्राः

स्टाम्प शुल्क	57044
नगरीय शुल्क	0
जनपद पंचायत शुल्क	0
उपकर	0
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	57044

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश	डी.एल.आर. न. : 11230810000120860021OO	
	वर्ष: 2020-21	दिनांक: 12-03-2021 11:12:23

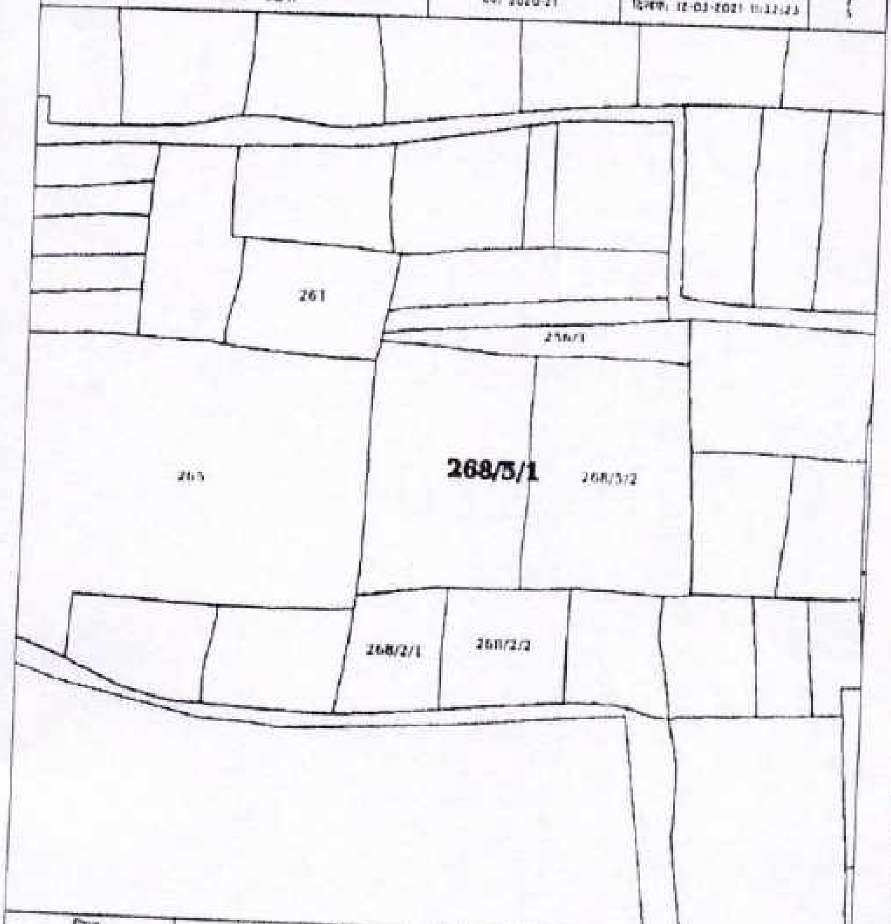

जिला	तहसील	रा.नि.म.	पटवारी हलका	ग्राम
इन्दौर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
खसरा क्र.	रकबा	भू-राजस्व		
268/5/1	0.7590(हेक्टे.)	5.66		

मापमान 1:4000 (पेज साइज A4)
0 20 40 60 80 120 160 200m

भूस्वामी। [illegible]

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.03.12 12:07:38 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Map Copy
CLR No.: 11230005000120860021O0
(EFFSM1)

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh hosted ... Page 1 / 1 — ⊕ + ... us of the entries as on the date mentioned in the signature ... the land records.

MP179092022A1608523 | 01011707062022013987

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रानिक पंजीयन दिनांक 08/06/2022 को क्रमांक MP179092022A1608523 दे कर किया गया है। जिसमें 22 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क	57044

पंजीयन शुल्क	9128
प्रतिलिपि शुल्क	0
अधिक	0
योग	9128

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

Second Amendment to Development Agr with Shakun bai 010039

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण	
ई पंजीकरण संख्या	MP179092023A11906397
पंजीकरण की तिथि	29/05/2023
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	30/05/2023
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	--
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	NA
पंजीयन शुल्क (रूपये)	500
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	1000
उप पंजीयक का नाम	PRADEEP NIGAM
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

आम डीड के लिए

नाम	शकुन बाई
पिता/पति का नाम	श्री रमेशचन्द्र चौधरी
पता	106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत
नाम	राजवीर चौधरी
पिता/पति का नाम	श्री रमेशचन्द्र चौधरी
पता	106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत
नाम	रणवीरसिंह चौधरी
पिता/पति का नाम	श्री रमेशचन्द्र चौधरी
पता	106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत
संगठन का नाम	मेसर्स शिखर रियल टेक
अधिकृत व्यक्ति का नाम	श्री अर्पण मित्तल
पता	409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर , इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed by PRADEEP NIGAM
Date: 2023.05.30 18:06:26 IST

MB170002023A11006397 | 01011718052023010699

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

संगठन का नाम	मेसर्स शिखर रियल टेक
अधिकृत व्यक्ति का नाम	श्री प्रियेश जैन
पता	409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर , इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

उप पंजीयक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011718052023010699
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	1000
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	1000
नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	0
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0
उपकर राशि (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक
निर्गमन तिथि एवं समय	18/05/2023 18:10:48
यूजर आईडी / जारीकर्ता	RENU LADDHA/SP011743005201500057
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	LG-33, ORBIT MALL, PLOT NO. 305-306, SCH. NO. 54, PU-4, INDORE इन्दौर इंदौर

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	पूर्व में रजिस्ट्रीकृत विलेख को संशोधित या सुधार करने का दस्तावेज
लिखत	पूर्व में रजिस्ट्रीकृत विलेख को संशोधित या सुधार करने का दस्तावेज, परन्तु जिसके द्वारा कोई सारवान परिवर्तन न किया गया हो। स्पष्टीकरण - इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए सारवान परिवर्तन वह है, जो लिखत की मूल स्थिति द्वारा अभिनिश्चित पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों या विधिक स्थिति में फेरफार करता है या अन्यथा मूल रूप से निष्पादित लिखत के विधिक प्रभाव में फेरफार करता है-एक हजार रूपए..
उद्देश्य	ammd.

पहले पक्ष के विवरण

नाम	शकुन बाई
पता	106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	3

दूसरे पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	मेसर्स शिखर रियल टेक
पता	409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	2

संशोधन - पत्र

संशोधन - पत्र

(1) श्रीमती शकुनबाई पति स्व. श्री रमेशचन्द्र चौधरी,
(2) राजवीर चौधरी पिता स्व. श्री रमेशचन्द्र चौधरी,
(3) रणवीरसिंह चौधरी पिता स्व. श्री रमेशचन्द्र चौधरी,
तीनों निवासी: 106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर--- प्रथमपक्ष
(संशोधनकर्ता)

मेसर्स शिखर रियल टेक (भागीदारी फर्म)
पता: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर तर्फे भागीदार
(1) श्री अर्पण मित्तल पिता श्री गोविंद मित्तल,
(2) श्री प्रियेश जैन पिता श्री मनीष जैन ---द्वितीयपक्ष

प्रथमपक्ष यह संशोधन-पत्र द्वितीयपक्ष के हित में निम्न शर्तो एवं दायित्वों के अधीन निम्नानुसार निष्पादित कर देते हैं कि :-

(1) यह कि, प्रथमपक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य के ग्राम मगरखेड़ा तहसील सांवेर जिला के पटवारी हल्का क्रमांक 19 में स्थित सर्वे नंबर 268/1/2 रकबा 0.569 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 208/5/1 रकबा 0.759 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 268/6 रकबा 1.265 हैक्टेयर होकर कुल रकबा 2.593 हैक्टेयर भूमि है (जिसे इस लेख में संक्षिप्त में "उक्त भूमि" कहा गया है), पर कालोनी विकास करने हेतु प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य अनुबंध लेख निष्पादित कर पंजीबद्ध किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक MP179092021A1261003 दिनांक 14.03.2021 है, जिसके संबंध में पूर्व में दिनांक 08.06.2022 को एक संशोधन पत्र निष्पादित कर पंजीबद्ध किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक MP179092022A1608523 है।

उक्त अनुबंध लेख क्रमांक MP179092021A1261003 दिनांक 14.03.2021 में वर्णित कुछ शर्तो का रेरा प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए इस संशोधन पत्र का निष्पादन किया जा रहा है।

उभयपक्षों के मध्य जो शर्ते तय हुई जो इस लेख को साक्ष्यांकित करती है, वे निम्नानुसार है :-

(2) यह की, उक्त वर्णित पंजीकृत अनुबंध लेख क्रमांक MP179092021A1261003 दिनांक 14.03.2021 की चरण क्रमांक 14, चरण क्रमांक 15, चरण क्रमांक 16, चरण क्रमांक 17, चरण क्रमांक 18 को विलोपित माना जावें एवं उक्त चरण क्रमांक 10, चरण क्रमांक 14, चरण क्रमांक 16, चरण क्रमांक 17, चरण क्रमांक 18, चरण क्रमांक 30-ए को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा एवं समझा जावे :-

चरण क्रमांक 10. यह कि, उक्त भूमि पर कालोनी विकास कार्य करने की समयावधि 24 माह के स्थान पर 36

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :

रणवीरसिंह चौधरी पुत्र/आत्मज श्री रमेशचन्द्र चौधरी

के द्वारा उप जिला इन्दौर जिला इंदौर के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 29/05/2023 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात 06:08:51 बजे प्रस्तुत किया गया।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

माह पढ़ी जावें।

चरण क्रमांक 14. यह कि उक्त भूमि का विकास करने एवं मौके पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने में प्रथम पक्ष की भूमि के रूप मे निक्षेप रहेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा उक्तानुसार जो विकास कार्य करवाया जावेगा, उसके एवज में कॉलोनी मे विकसित भूखण्डो के नेट प्लानिंग एरिये का अनुपात प्रथमपक्ष का 60 प्रतिशत एवं द्वितीयपक्ष का 40 प्रतिशत का रहेगा। विकसित होने वाली कालोनी के सभी भूखण्डो को प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने रेशो अनुसार इस अनुबंध लेख की अंतिम पेरा में विभाजित कर विवेचित कर लिया है। उभयपक्ष के द्वारा परियोजना मे किये जाने वाले विकसित सभी भूखण्ड का आवंटन, अनुबंध, विकय लेख, व अन्य आवश्यक दस्तावेज संयुक्त रूप से अपने पद/स्वामित्व के आधार पर निष्पादीत व हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

चरण क्रमांक 16. यह कि प्रथमपक्ष (संशोधनकर्ता द्वारा द्वितीयपक्ष (संशोधनगृहिता) को उनकी उपरोक्त वर्णित भूमि आवासीय प्रोजेक्ट विकसित करने हेतु अनुमति स्वरुप सुपुर्द कर दी है, ताकि द्वितीयपक्ष विकास कार्य तथा निर्माण प्रारंभ कर सके। इसे परमिसिव पजेशन मान्य किया किया जावेगा, परन्तु भौतिक एवं वैधानिक रूप से मालिक नाते से आधिपत्य प्रथमपक्ष का ही मान्य होगा व यह अनुबंध परियोजना के विकास करने के सम्बन्ध में है। यह स्वामित्व, हस्तांतरण, उपहार, दान आदि नहीं है इससे भूमिस्वामित्व में कोई परिवर्तन नही होता है।

चरण क्रमांक 17-अ, उभयपक्ष के द्वारा परियोजना मे किये जाने वाले विक्रित सभी भूखण्ड का आवंटन, अनुबंध, विकय लेख, व अन्य आवश्यक दस्तावेज संयुक्त रुप से अपने पद/स्वामित्व के आधार पर निष्पादीत व हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

चरण क्रमांक 17-ब, यह कि उपरोक्त चरण में उल्लेखित प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि को उमयपक्षों द्वारा परियोजना के रेरा नामित खाते में जमा किया जावेगा, उक्त रेरा नामित खाते को विकासकर्ता द्वारा अनुसूचित बैंक मे खुलवाया जावेगा एवं उक्त खाते का कियान्वयन उभयपक्षों द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4 (2) (ठ) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

चरण क्रमांक 18. यह कि, भूमिस्वामीगण एवं विकासकर्तागण दोनों ही परियोजना के संप्रवर्तक (प्रमोटर) के रूप में संयुक्त रूप से शामिल होंगे तथा सभी पक्ष पृथक-पृथक तथा संयुक्त रूप से परियोजना के लिए उत्तरदायी होंगे व भू-सम्पदा विनियामक (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधान भूमिस्वामीगण एवं विकासकर्ता दोनों पर लागू होकर उभयपक्ष रेरा के प्रावधानों के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

चरण क्रमांक 30-अ. यह कि, भूखण्ड धारको से प्राप्त होने वाले एमपीईबी चार्जेस (बिजली चार्ज) को रेरा नामित खाते में जमा किया जावेगा जमा की जाने वाली राशि मे मेंटेनेंस की राशि सम्मिलित नही होगी।
(3) यह कि, पूर्व में निष्पादित पंजीकृत अनुबंध लेख क्रमांक MP179092021A1261003 दिनांक 14.03.2021 की शेष शर्ते एवं रेशो यथावत है तथा रेशो में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

निष्पादन की मुद्रा :

शकुन बाई		पत्नी श्री रमेशचन्द्र चौधरी	पता: 106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर
राजवीर चौधरी		पुत्र/आत्मज श्री रमेशचन्द्र चौधरी	पता: 106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर
रणवीरसिंह चौधरी		पुत्र/आत्मज श्री रमेशचन्द्र चौधरी	पता: 106/2, परदेशीपुरा, इन्दौर
मेसर्स शिखर रियल टेक	प्रतिनिधित्व:-	श्री अर्पण मित्तल	पता: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर
मेसर्स शिखर रियल टेक	प्रतिनिधित्व:-	श्री प्रियेश जैन	पता: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर

स्वीकार करते हैं कि कथित पूर्व में रजिस्ट्रीकृत विलेख को संशोधित या सुधार करने का दस्तावेज विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूपए 0 प्राप्त हो गये हैं तथा रूपए 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूपए 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी । तारीख 29/05/2023

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

(4) यह कि, उपरोक्त संशोधन कोई नया व्यवहार नहीं है। चुंकि दस्तावेज निष्पादन के समय भूलवश अन्य शर्तो के साथ कुछ चरण टाईप होना रह गए है और कुछ चरण त्रुटिपूर्ण टाईप हो गए है, जिसे रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधित करना आवश्यक हो गया है, इसलिए प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य यह संशोधन पत्र निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया जा रहा है। इस संशोधन पत्र द्वारा अनुबंध पत्र में प्रथमपक्ष का नाम, द्वितीयपक्ष का नाम, कुल एरिया, रेशो, चतुःसीमा आदि में किसी प्रकार का कोई संशोधन नही किया जा रहा है और न हीं इस संशोधन पत्र के निष्पादित होने से अनुबंधित संपत्ति का स्थान परिवर्तन होता हैं। यह संशोधन पत्र उपरोक्त पंजीकृत अनुबंध लेख क्रमांक MP179092021A1261003 दिनांक 14.03.2021 एवं पंजीकृत संशोधन पत्र क्रमांक MP179092022A1608523 दिनांक 08.06.2022 का ही अभिन्न अंग माना जावेगा।

(5) यह कि, द्वितीयपक्ष एक भागीदारी फर्म है तथा फर्म में उपस्थित सभी भागीदारों की परस्पर सहमति से उक्त भूमि के संबंध में दस्तावेज निष्पादित करने हेतु (1) श्री अर्पण मित्तल पिता श्री गोविंद मित्तल, (2) श्री प्रियेश जैन पिता श्री मनीष जैन को अधिकृत किया है।

(6) यह कि, इस संशोधन लेख द्वारा लिखत में अभिनिश्चित पक्षकारों के अधिकारो दायित्वों या विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही हो रहा है और ना ही मूल रूप से निष्पादित लिखत के विधिक प्रभाव में फेरफार हो रहा है।

(7) यह कि, पूर्व में निष्पादित विकास अनुबंध दिनांक 14.03.2021 (जोकि इस संशोधन लेख का मुखय भाग है) के अनुबंध एवं दिनांक 08.06.2022 के संशोधन व इस संशोधन लेख में यदि किसी बिंदु में विराधाभास होता है, तो इस संशोधन लेख के बिंदु को मान्य माना जावेगा। इस संशोधन में सभी पक्ष सहमत है।

अतः यह संशोधन लेख आज दिनांक को प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हित में इस विलेख को बगैर कोई नशा-पानी किए, स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में सोच-समझकर, पढ़कर, सुनकर निम्न साक्षीगणों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया। सो प्रमाण रहे।

This deed has been prepared, drafted and uploaded as per instructions, information and facts provided by the parties of the deed. Advocate(s), who drafted this deed, and Service Provider, who has only booked the slot (and not involved in any activity of the viz. Drafting, typing of the deed, validity of the identity of the parties. Site photographs and entire facts, recitals and data of the deed), have not gone through the facts of the deed viz. Identity of the parties, ownership (title) of the owner(s), site photographs (if any), all the facts and recitals of the deed etc. So they (Advocate and Service Provider of this deed) will not take any responsibility whether criminal, civil, or taxation specially laws related to registration Act. 1908 Section 82 and all provision regarding any offence, penalty imprisonment under registration Act, rules, manuals, circulars etc, Indian Stamp Act 1899 and its rules, cyber law and all

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

PRASHAL JAIN	पुत्र/आत्मज MANISH	पता: 18/3 NEW MAHESH NAGAR INDORE
MANISH JAIN	पुत्र/आत्मज RAKHAB CHAND	पता: 18/3 NEW MAHESH NAAGR INDORE

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 29/05/2023

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

other acts, rules, circulars, and instructions of various officers/Authorities acts regarding above, I.e. Advocate(s) and Service Provider disowned all the legal, factual, criminal and all other responsibilities which are not mentioned in this Disclaimer.

Sanjeev Laddha, Advocate

---------------Please turn over/क्रप्या पृष्ठ पलटिये।---------------

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगूठा चिन्ह मुद्रा :

इस दस्तावेज के निष्पादक शकुन बाई पत्नी श्री रमेशचन्द्र चौधरी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 29/05/2023 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

इस दस्तावेज के निष्पादक राजवीर चौधरी पुत्र/आत्मज श्री रमेशचन्द्र चौधरी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 29/05/2023 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

मै/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठो के विवरणो एवं प्रविष्टियो को, दस्तावेज के आईडी 33733239 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011718052023010699 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते है, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते है।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारो के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible]

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारो के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :

For Shikhar Realtech
Partner
[illegible]

For Shikhar Realtech
Partner
[illegible]

अन्य पक्षकार/ पक्षकारो के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :

गवाह 1 का नाम [illegible]
पता 18.13 [illegible] इन्दौर
हस्ताक्षर [illegible]
आईडी का टाईप तथा नम्बर
(473206503052 - आधार)

गवाह 2 का नाम राजकुमार पिता [illegible] पाल
पता 51, [illegible] नगर, इन्दौर
हस्ताक्षर [illegible]
आईडी का टाईप तथा नम्बर
402397495404 - आधार)

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

इस दस्तावेज के निष्पादक रणवीरसिंह चौधरी पुत्र/आत्मज श्री रमेशचन्द्र चौधरी के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 29/05/2023 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

इस दस्तावेज के निष्पादक श्री अर्पण मित्तल के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 29/05/2023 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

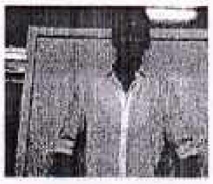

इस दस्तावेज के निष्पादक श्री प्रियेश जैन के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 29/05/2023 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

गवाह मुद्रा :

PRASHAL JAIN

MANISH JAIN

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्रा:

स्टाम्प शुल्क	1000
नगरीय शुल्क	0
जनपद पंचायत शुल्क	0
उपकर	0
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	1000

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रानिक पंजीयन दिनांक 29/05/2023 को क्रमांक MP179092023A11906397 दे कर किया गया है। जिसमें 19 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क	1000

पंजीयन शुल्क	500
प्रतिलिपि शुल्क	0
अधिक	0
योग	500

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

Development Agreement

256/3/2 - 0.0056 HCt

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण	
ई पंजीकरण संख्या	MP179092022A1532156
पंजीकरण की तिथि	23/05/2022
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	23/05/2022
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	1330040
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	NA
पंजीयन शुल्क (रूपये)	6548
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	40921
उप पंजीयक का नाम	PRADEEP NIGAM
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

सम्पत्ति का स्वामी - स्वयं

संगठन का नाम — मेसर्स शिखर देवकान

अधिकृत व्यक्ति का नाम — श्री मनीष

पता — 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

निर्माता / डेवलपर-स्वयं

संगठन का नाम — मेसर्स शिखर रियलटेक

अधिकृत व्यक्ति का नाम — श्री मनीष

पता — 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed by PRADEEP NIGAM
Date: 2022.05.23 18:11:11 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर

MP179092022A1532156 | 01011723052022014958

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011723052022014958
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	40921
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	40921
नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	0
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0
उपकर राशि (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक
निर्गमन तिथि एवं समय	23/05/2022 16:01:33
यूजर आईडी / जारीकर्ता	RENU LADDHA/SP011743005201500057
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	LG-33, ORBIT MALL, PLOT NO. 305-306, SCH. NO. 54, PU-4, INDORE इन्दौर इंदौर

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	करार या करार का ज्ञापन
लिखत	यदि वह भूमि के स्वामी या पत्तेदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि के विकास एवं /अथवा उस पर भवन के निर्माण सम्बंधित है - वही शुल्क जो विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भाग के केवल उस भाग के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगता है जो की विकासकर्ता द्वारा संयुक्तः या पृथक्तः धारित / विक्रीत की जाने वाली विकसित संपत्ति के अनुपात में हो, या उस शुल्क का आधा जो विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित संपूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र(क्रमांक २५) पर लगता है, इनमें से जो भी अधिक हो
उद्देश्य	// अनुबंध लेख //

पहले पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	मेसर्स शिखर देवकान
पता	409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	1

दूसरे पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	मेसर्स शिखर रियलटेक
पता	409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर
व्यक्तियों की संख्या	1

मगरखेड़ा

[illegible]

// अनुबंध लेख //

मेसर्स शिखर देवकान(भागीदारी फर्म)(ACXFS4074R)तर्फे भागीदार
पताः 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर
श्री मनीष पिता श्री रखबचंदजी जैन,-- प्रथमपक्ष

(भूमि स्वामी)

मेसर्स शिखर रियलटेक(भागीदारी फर्म) तर्फे भागीदार
पताः 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर
श्री मनीष पिता श्री रखबचंदजी जैन,--द्वितीयपक्ष
(विकासकर्ता)

(जिन्हें इस लेख में सुविधा की दृष्टि से प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष कहा गया है एवं इस संबोधन में उनके समनुदेशक, निष्पादक, प्रशासक, असाईनिज, वैध उत्तराधिकारीगण एवं समस्त हितबद्ध व्यक्ति सम्मिलित है) के मध्य निम्नानुसार निष्पादित कर देते है कि :-

01. यह कि, प्रथमपक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मगरखेड़ा तहसील सांवेर जिला इन्दौर के पटवारी हल्का क्रमांक 19 में स्थित सर्वे नंबर 256/3पैकी(बटांकन पश्चात् 256/3/2) रकबा 0.056 हैक्टेयर भूमि है (जिसे इस लेख में आगे संक्षिप्त में "उक्त भूमि" कहा गया है)। उक्त भूमि को प्रथमपक्ष ने पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक MP179092020 A1444210 दिनांक 30.07.2020 के द्वारा क्रय किया है तथा राजस्व विभाग में प्रथमपक्ष के नाम पर दर्ज हैं, जिसका ऋण पुस्तिका क्रमांक एल.आई.एन.-023363 है। उक्त भूमि का व्यपवर्तन श्रीमान् न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एस.डी.ओ. जिला, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 0024/अ-2/2021 पारित आदेश दिनांक 30.06.2021 के द्वारा आवासीय उपयोग हेतु हुआ है। उक्त भूमि की चतुःसीमा निम्नानुसार है :-
पूर्व में : सर्वे नंबर 256/3 की शेष भूमि
पश्चिम में: सर्वे नंबर 256/3 की शेष भूमि
उत्तर में:ग्रामीण सड़क
दक्षिण में:सर्वे नंबर 268/5/1 की भूमि

02.यह कि, प्रथमपक्ष उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य के उक्त भूमि पर आवासीय कालोनी विकास करवाना चाहते है, किंतु उनके पास इस हेतु यथेष्ठ अनुभव नही है तथा सभी कार्य व्यवस्था की वजह से प्रथमपक्ष इस कालोनी विकास कार्य का अनुभव रखने वाली विकासकर्ता द्वितीयपक्ष कंपनी से जो पूंजी का विनियोजन करके कालोनी विकास का कार्य पूर्ण कर सके, उनसे कालोनी विकास का कार्य कराना चाहते है।

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :

मेसर्स शिखर रियलटेक

प्रतिनिधित्व:- श्री मनीष

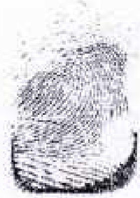

के द्वारा उप जिला इन्दौर जिला इंदौर के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 23/05/2022 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात 04:57:27 बजे प्रस्तुत किया गया।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

03.यह कि, प्रथमपक्ष अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त कृषि भूमि पर आवासीय कालोनी विकास कार्य करवाना चाहते है तथा इस कार्य के लिये प्रथमपक्ष के द्वारा द्वितीयपक्ष के समक्ष प्रस्ताव रखा जिसे द्वितीयपक्ष ने निम्नांकित शर्तो एवं दायित्वो के अधीन स्वीकार किया है।

04.यह कि, द्वितीयपक्ष शहर इंदौर में कालोनी विकास एवं अन्य निर्माण का कार्य करते है और उसका उद्देश्य अच्छी क्वालिटी की आवासीय कालोनी विकसित एवं अन्य निर्माण संबंधी कार्य करना है। विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करके उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की उपर उल्लेखित भूमि पर कालोनी एवं अन्य संबंधित विकास करना स्वीकार किया है । द्वितीयपक्ष को कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर ने कालोनी विकास हेतु दिनांक 30.11.2021 को बिल्डर लायसेंस प्रदाय किया है, जिसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 0103/अ-74/2021-22 हैं ।

05.यह कि, इस कालोनी विकास कार्य में प्रथमपक्ष का भूमि के रूप में विनियोग रहेगा। द्वितीय पक्ष का इस भूमि पर संपूर्ण रहवासी कालोनी विकास की लागत के रूप में विनियोग रहेगा। संपूर्ण विकास का खर्च द्वितीय पक्ष के द्वारा वहन किया जावेगा।

06.यह कि, उक्त कालोनी विकास मे लगने वाली अनुमतियाँ याने टी.एन.सी. डायवर्शन नक्शा पास कराने का कार्य द्वितीयपक्ष का रहेगा तथा टी.एन.सी. का नक्शा द्वितीयपक्ष अपनी इच्छानुसार एक या अधिक भागो में पास करवा सकेंगे, जिसमें यदि आश्रय निधि जमा करवाना हुई तो दोनो पक्ष अदा करेगें और यदि ईडब्ल्यू एस का निर्माण करना होगा तो वह निर्माण कार्य का खर्च स्वीकृत नक्शे के अनुसार दोनों पक्षों को वहन करना होगा तथा इस एरिये को विक्रय करने से जो राशि प्राप्त होगी वह भी उभयपक्ष प्राप्त करेंगे।

07.यह कि, उपर वर्णित भूमियों के विकास अथवा विकास कार्य के लिये स्वीकृत नक्शे के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त करना आवश्यक हुआ तो ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त करने की कार्यवाही प्रथमपक्ष के नाम से संचालित की जा सकती है, इसलिये समस्त कार्यवाही प्रथमपक्ष के नाम से की जावेगी, किंतु उसमें लगने वाली मेहनत एवं समस्त व्ययो का उत्तरदायित्व द्वितीयपक्ष का रहेगा। चूंकि प्राप्त होने वाली अनुमतियां प्रथमपक्ष के नाम से प्राप्त होगी, इसलिये प्रथमपक्ष को ऐसी की जाने वाली कार्यवाहियों में प्रत्येक क्रम पर द्वितीयपक्ष को सहयोग प्रदान करना होगा एवं जब आवश्यक होगा हस्ताक्षर करने या अन्य किसी कार्य के लिये उपस्थित होना होगा और इस हेतु आवश्यक होने पर भूखण्ड से संबंधित स्वत्व लेख, ऋण पुस्तिका, खसरा नकल एवं अन्य अभिलेख समय-समय पर द्वितीयपक्ष को प्रदान करेंगे।

08.यह कि, प्रथमपक्ष के स्वामित्व के उपर उल्लेखित भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार आवासीय कालोनी का विकास कार्य किया जाना है। यह समस्त कार्य द्वितीयपक्ष पूर्ण करेंगे और इस हेतु लगने वाले समस्त विकास कार्य की लागत का भुगतान करने का उत्तरदायित्व द्वितीयपक्ष का रहेगा।

09.यह कि, प्रथमपक्ष द्वारा उल्लेखित भूमि का विकास कार्य द्वितीयपक्ष से करवाना निश्चित किया है और इस विकास कार्य के पूर्ण होने में लगभग 12 माह का समय लगने की संभावना है उसमें ग्रेस पीरियड 02 माह और बढाया जा सकेगा। प्रथमपक्ष द्वारा उल्लेखित भूमि के विकास कार्य हेतु उसका आधिपत्य द्वितीयपक्ष को सौंप

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

निष्पादन की मुद्रा :

मेसर्स शिखर देवकान	प्रतिनिधित्व:-	श्री मनीष	पता: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर
मेसर्स शिखर रियलटेक	प्रतिनिधित्व:-	श्री मनीष	पता: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर

स्वीकार करते हैं कि कथित करार या करार का ज्ञापन विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूपए 0 प्राप्त हो गये हैं तथा रूपए 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूपए 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी । तारीख 23/05/2022

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

दिया है, उसमे यदि किसी दैवीय प्रकोप, प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना जिसमें भूकंप, आगजनी या दंगा इत्यादि होता है या कर्फ्यू लगने अथवा ऐसी कोई प्राकृतिक परिस्थिति जिस पर दोनों ही पक्ष का कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं हो, इन सबकी वजह से निर्माण में कोई विलम्ब उत्पन्न होता हे, तो ऐसी अवधि में निर्माण कार्य बन्द रहने के कारण इतने दिवस की अवधि को अतिरिक्त समय के रूप में बढ़ाया जावेगा, यह अवधि ग्रेस पीरियड अतिरिक्त होगी।

10.यह कि, प्रथमपक्ष ने उल्लेखित भूमि पर विकास कार्य हेतु द्वितीयपक्ष को इस अनुबंध अनुसार भूमि का कब्जा सौंपकर कालोनी विकास की इजाजत प्रदान कर दी है। द्वितीयपक्ष उल्लेखित भूमि का विकास एक साथ या अलग-अलग भागों में अथवा अलग-अलग स्टेजेस पर स्वयं की लागत से विकास कार्य पूर्ण करेगे। द्वितीयपक्ष विकास कार्य करने हेतु यांत्रिक प्लॉट मशीनरी की स्थापना कर सकेंगे। उल्लेखित भूमि पर कालानी विकास कार्य हेतु इंजीनियर, कान्ट्रेक्टर, ठेकेदार, मजदूर आदि अन्य जो भी आवश्यक हो, को मौके पर नियुक्त कर सकेंगे। द्वितीयपक्ष द्वारा नियुक्त किये गए कर्मचारियों पर प्रथमपक्ष का कोई नियंत्रण एवं किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं रहेगी।

11.यह कि, उल्लेखित भूमि पर अनुबंध दिनांक के पूर्व का समस्त टेक्स एवं संपत्ति कर का भुगतान प्रथमपक्ष करेंगें। उक्त विकास कार्य पूर्ण होने के दौरान संपत्ति कर का भुगतान उभयपक्ष अपने-अपने हिस्से अनुसार वहन करेंगें।

12. यह कि, विकसित होने कालोनी के विकसित भूखण्डों में प्रथमपक्ष का 50 (पचास) प्रतिशत भाग एवं द्वितीयपक्ष का 50 (पचास) प्रतिशत भाग रहेगा। विकसित होने वाली कालोनी के सभी भूखण्डों को प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ने रेशो अनुसार विभाजीत कर लिया है, जिसे प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष इन्दौर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत मानचित्र पर अलग-अलग रंग से चिन्हीत कर लेवेगंत तथा उभयपक्ष अपने-अपने हिस्से के भूखण्डों को अपने हस्ताक्षर से स्वतंत्र रूप से विक्रय कर विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर सकेगें तथा उभयपक्ष अपने-अपने हिस्से के भूखण्डों का विक्रय पत्र भी संबंधित क्रेतापक्ष के हित में निष्पादित पंजीबद्ध करवा सकेगें, जिसमें किसी भी पक्ष को दुसरे पक्ष की सहमति की आवश्यकता नही रहेगी।

13.यह कि, विकसित होने वाली कालोनी के संबध में द्वितीयपक्ष कोई प्रोजेक्ट लोन करवाना चाहे तो करवा सकेगें उसमें लगने वाला समस्त खर्च द्वितीयपक्ष वहन करेगा, किन्तु कालोनी के विकास हेतु लगने वाला विकास खर्च के संबंध में लिए जाने वाला ऋण पर प्रथमपक्ष के हस्ताक्षर की जहां-जहां आवश्यकता होगी, प्रथमपक्ष उसमें द्वितीयपक्ष को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें एवं अपने हस्ताक्षर करेग, साथ ही यदि मूल दस्तावेजो की आवश्यकता प्रोजेक्ट लोन के लिए होगी वह भी प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को उपलब्ध करवाए जावेगें।

14.यह कि, विद्युत कनेक्शन के लिये म.प्र. विद्युत मंडल से कनेक्शन हेतु जो भी डिपॉजिट की राशि अथवा मीटर इत्यादि प्राप्त करने का व्यय लगेगा अथवा केबल, पेनल बोर्ड, एम.पी.ई.बी. से ट्रांसफार्मर एवं विधिवत् विद्युत कनेक्शन का खर्च व प्रकीर्ण खर्च द्वितीयपक्ष द्वारा द्वारा वहन किया जावेगा, जोकि प्रति किलोवाट अनुसार क्रेतापक्ष/भूखण्ड धारक को द्वितीयपक्ष द्वारा निर्धारित की गई राशि के मान से द्वितीयपक्ष प्राप्त करने के

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

ANIRUDDHA MITTAL	पुत्र/आत्मज GOPAL JI	पता: 301 SHIVDHAM APARTMENT BHANDARI MARG INDORE.
PRIYASH JAIN	पुत्र/आत्मज MANISH JI	पता: 18/3 NEW MAHESH NAGAR RAJMOHALLA INDORE.

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 23/05/2022

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

अधिकारी होगें।

15.यह कि, कालोनी में जल की पूर्ति हेतु आंतरिक (इन्टरनल) लाईन डाली जावेगी एवं कालोनी में अन्य सुविधाओं हेतु जो व्यवस्था की जावेगी उसका समस्त व्यय द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया जावेगा, जिसे द्वितीयपक्ष संबंधित क्रेता/भूखण्ड धारक से आनुपातिक रूप से प्राप्त कर सकेगें।

16.यह कि, विकास कार्य में अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल लगाना होगा।

17.यह कि, इस अनुबंध में किसी प्रकार की कोई संशोधन करने की आवश्यकता होती है, तो दोनों पक्ष आपसी सहमति से कर सकेगें, जो कि इस अनुबंध का अभिन्न अंग माना जावेगा।

18.यह कि, तत्कालिन समय व परिस्थिति तथा प्रचलित नियमानुसार व विधानानुसार कोई ऐसी बात या विवाद उपस्थित होता है जिसमें निर्णय करना आवश्यक हो तो दोनो पक्ष अपनी पूर्ण सहमति से उस पर निर्णय लेवेंगे।

19.यह कि, उभयपक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो एवं अनुबंध में लिखी गई शर्तो से जिसका निराकरण नहीं होता है तो उस दशा में सर्वमान्य पंच की नियुक्ति की जावेगी। उक्त पंच निर्णय उभयपक्ष को मान्य एवं बंधनकारक रहेगा। पंच की नियुक्ति दोनो पक्षो द्वारा संयुक्त सहमति से की जावेगी।

20.यह कि, यदि पंच निर्णय द्वारा किसी प्रकार का निराकरण नही होता है तो दोनो पक्ष न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे जिसका न्यायक्षैत्र शहर इंदौर में रहेगा।

21.यह कि, सदर सम्पति प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के सिवाय अन्य किसी को किसी भी प्रकार से अनुबंधित नही की है तथा ना ही इस पर किसी के कर्जे, जमानत, मेन्टेनेन्स, अटेचमेंट, डिक्री, वारिसाने आदि का कोई भार है। यदि किसी भी प्रकार का भार सदर सम्पत्ति पर रहता है तो उसके निराकरण की जवाबदारी प्रथमपक्ष की रहेगी और यदि द्वितीयपक्ष को इससे कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति प्रथमपक्ष द्वारा की जावेगी।

22.यह कि, प्रथमपक्ष इस विकास कार्य बाबद् अपने हस्ताक्षर करने को हमेशा तत्पर रहेंगे जहां भी उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी प्रथमपक्ष करने हेतु तत्पर रहेंगे।

23.यह कि, किसी भी प्रकार टैक्स डयूज आदि शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालयो द्वारा अधिरोपित किया जाता है तो वह टैक्स, डयूज प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष वहन करने हेतु तत्पर रहेंगे।

24.यह कि, उक्त सम्पति के स्वामित्व बाबद् द्वितीयपक्ष दैनिक समाचार पत्र में स्वयं के व्यय से जाहिर सूचना का प्रकाशन करवा लेवेगें। यदि उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व एंव टाइटल संबंधी किसी प्रकार का कोई विवाद या दोष उत्पन्न होता है या किसी के द्वारा अपना हक्क अधिकार सिद्ध किया जाता है तो उसके संपूर्ण निराकरण का दायित्व सव्यय प्रथमपक्ष का रहेगा इस कारण से प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को कोई खर्चा या नुकसानी नहीं लगने

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

इस दस्तावेज के निष्पादक श्री मनीष के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 23/05/2022 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

इस दस्तावेज के निष्पादक श्री मनीष के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 23/05/2022 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

गवाह मुद्रा :

ANIRUDDHA MITTAL

देवेगें। आपत्तिकर्ता की सहमति व उसके हस्ताक्षर का दायित्व भी प्रथमपक्ष का रहेगा एवं जब भी सदर अनुबंध पंजीकृत होगा तो पंजीयन में लगने वाला समस्त व्यय प्रथमपक्ष एवं द्वितीपक्ष दोनों ही वहन करेंगे।

25.यह कि, इस लेख के निष्पादन एवं पंजीयन में लगने वाला समस्त व्यय उभयपक्षों ने बराबर–बराबर वहन किया गया है।

26.यह कि, उक्त कालोनी विकास के दौरान एवं पश्चात् द्वितीयपक्ष उक्त कालोनी के भूखण्डों को विक्रय करने के लिए जो भी मार्केटिंग करने हेतु स्टाफ रखेगा एवं विज्ञापन, ब्रोकरेज राशि आदि देवेगा उसमें लगने वाला संपूर्ण खर्च द्वितीयपक्ष वहन करेगें।

27. यह कि, प्रथमपक्ष एक भागीदारी फर्म है तथा फर्म में उपस्थित सभी भागीदारों की परस्पर सहमति से उक्त अनुबंध लेख निष्पादित एवं पंजीबद्ध करने हेतु श्री मनीष पिता श्री रखबचंदजी जैन को अधिकृत किया है।

28. यह कि, द्वितीयपक्ष एक भागीदारी फर्म है तथा फर्म में उपस्थित सभी भागीदारों की परस्पर सहमति से उक्त अनुबंध लेख निष्पादित एवं पंजीबद्ध करने हेतु श्री मनीष पिता श्री रखबचंदजी जैन को अधिकृत किया है।

29. यह कि, इस अनुबंध लेख के निष्पादित होने से किसी भागीदारी लेख का सृजन नही होता है ।

अतः यह अनुबंध प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ने आज दिनांक को पूर्ण होश हवास में पढ़कर, सुनकर, समझकर, इसे स्वीकार कर, इस पर अपने हस्ताक्षर कर, बिना किसी दबाव, धौंस के स्वेच्छापूर्वक दो साक्षीकण के समक्ष किये हैं, ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे।
इन्दौर

This deed has been prepared, drafted and uploaded as per instructions, information and facts provided by the parties of the deed. Advocate(s), who drafted this deed, and Service Provider, who has only booked the slot (and not involved in any activity of the viz. Drafting, typing of the deed, validity of the identity of the parties. Site photographs and entire facts, recitals and data of the deed), have not gone through the facts of the deed viz. Identity of the parties, ownership (title) of the owner(s), site photographs (if any), all the facts and recitals of the deed etc. So they (Advocate and Service Provider of this deed) will not take any responsibility whether criminal, civil, or taxation specially laws related to registration Act. 1908 Section 82 and all provision regarding any offence, penalty imprisonment under registration Act, rules, manuals, circulars etc, Indian Stamp Act 1899 and its rules, cyber law and all other acts, rules, circulars, and instructions of various officers/Authorities acts regarding above, I.e. Advocate(s) and Service Provider disowned all the legal,

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

PRIYASH JAIN

factual, criminal and all other responsibilities which are not mentioned in this Disclaimer.
Sanjeev Laddha, Advocate

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्रा:

स्टाम्प शुल्क	40921
नगरीय शुल्क	0
जनपद पंचायत शुल्क	0
उपकर	0
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	40921

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

संपत्ति विवरण अनुलग्नक

संपत्ति आईडी	1799202207309308
संपत्ति का प्रकार	कृषि भूमि

संपत्ति का सीमा चिन्ह : --

संपत्ति का पता : ग्राम मगरखेड़ा तहसील सांवेर जिला इन्दौर के पटवारी हल्का क्रमांक 19 में स्थित सर्वे नंबर 256/3पैकी(बटांकन पश्चात् 256/3/2)

विकास खण्ड (विकास खंड) : --

राजस्व निरीक्षक वृत्त : --

लेआउट का विवरण : --

नजूल / शीट क्रमांक : --

भूखण्ड क्रमांक : --

खसरा का विवरण और चतुर्सीमा का विवरण

खसरा क्रमांक	खसरा क्षेत्रफल	लगान / भूमि राजस्व (रूपये)	ऋण पुस्तिका क्रमांक	उत्तरी सीमा	दक्षिण सीमा	पूर्व सीमा	पश्चिम सीमा
256/3/2	0.056	0	023363	ग्रामीण सड़क	सर्वे नंबर 268/5/1 की भूमि	सर्वे नंबर 256/3 की शेष भूमि	सर्वे नंबर 256/3 की शेष भूमि

अतिरिक्त अपलोड

R_0_0.jpg

R_1_1.jpg

R_2_2.jpg

K_3_3.jpg

K_4_4.jpg

k_5.jpg

MP/GRS MP/GRS [illegible]
MP/GRS MP/GRS [illegible]
MP/GRS MP/GRS [illegible]

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

जिला	इंदौर
तहसील	सांवेर
क्षेत्र प्रकार	ग्राम - क्षेत्र
उप क्षेत्र प्रकार	प्लानिंग क्षेत्र
पटवारी हल्का / गांव	पटवारी हल्का न0 52.
ग्राम / मोहल्ला / कालोनी	मगर खेड़ा (रोड पर)
क्या एक से अधिक क्रेता है?	नहीं
क्या क्रेता एक ही परिवार के हैं?	नहीं
क्रेताओं की संख्या	0
क्या आप अपने हिस्से का खुलासा करना चाहते हैं?	नहीं
क्या कृषि भूमि पर पेड़ हैं?	नहीं

संपत्ति 1 : व्यावसायिक

क्षेत्र का विवरण (हेक्टेयर)

भूमि का कुल क्षेत्रफल	आवासीय भूमि का क्षेत्रफल	व्यावसायिक भूमि का क्षेत्रफल	औद्योगिक भूमि का क्षेत्रफल	शिक्षा इकाइयों के लिए आरक्षित क्षेत्र	स्वास्थ्य इकाइयों के लिए आरक्षित क्षेत्र	अन्य क्षेत्र
0.056	0.056	0	0	0	0	0

क्या कृषि भूमि पर कोई निर्माण है?	नहीं

कुल मुद्रांक एवं छूट

छूट मुद्रांक शुल्क (रु)	0.0	छूट पंजीयन शुल्क (रु)	0.0
कुल देय शुल्क (रु)	40921.0	कुल देय पंजीयन शुल्क	6548.0

Developer Share(%)	50
Party(Owner) Share(%)	50

[illegible]

Total No Of Developer	1

[illegible]

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 27877297 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011723052022014958 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

For SHIKHAR DEVCON,

[signature]

Partners.

(श्री) मनीष पिता श्री रखबचन्द जैन)

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :

[signature]

(मनीष पिता श्री रखबचन्द, जैन)

अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :

———

गवाह 1 का नाम ओमप्रकाश पिता शिवनारायण चौधरी
पता 127 बड़ी भमोरी, इन्दौर
हस्ताक्षर [signature]
आईडी का टाईप तथा नम्बर
(आ.क्र. 7342 9252 8377)

गवाह 2 का नाम प्रियंका पति मनीष जैन
पता 18/3 मनु [illegible] नगर, इन्दौर
हस्ताक्षर [signature]
आईडी का टाईप तथा नम्बर
(आ.क्र. 7739 8722 5741)

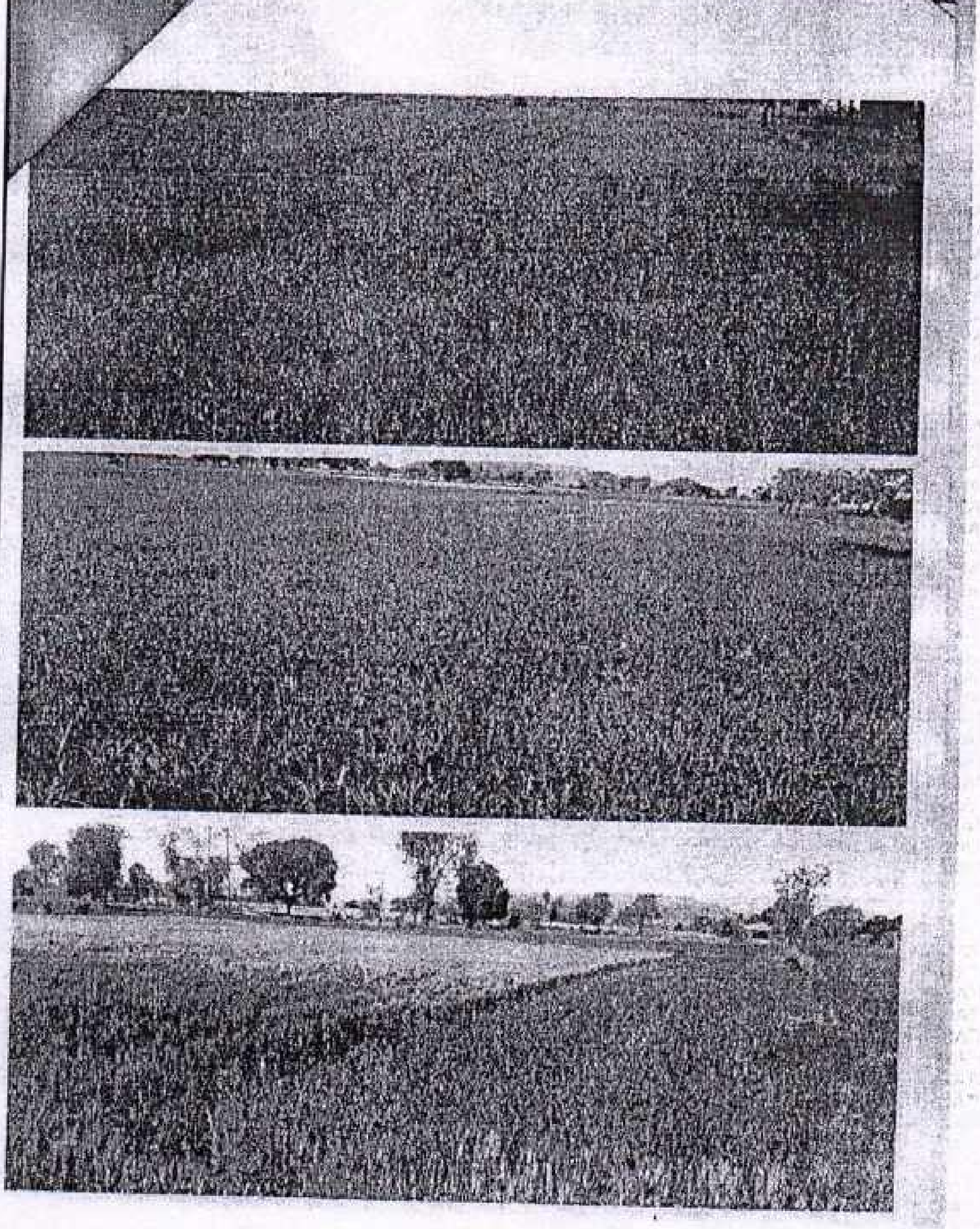

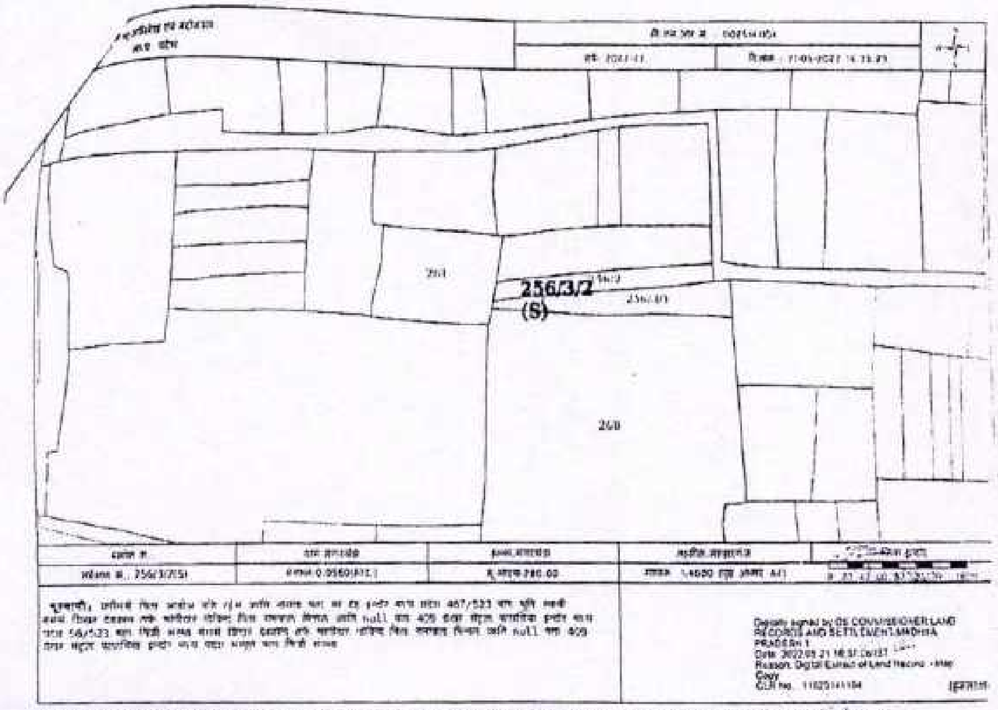

This is an electronically generated and digitally signed extract of Land Records from the Official Land Records database of Government of Madhya Pradesh [illegible] and reflects the status of the entries as on the date mentioned in the signature box. This document represents a certified copy of the land records.

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रानिक पंजीयन दिनांक 23/05/2022 को क्रमांक MP179092022A1532156 दे कर किया गया है। जिसमें 28 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क	40921
पंजीयन शुल्क	6548
प्रतिलिपि शुल्क	0
अधिक	0
योग	6548

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

1116

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण	
ई पंजीकरण संख्या	MP179092023A11949060
पंजीकरण की तिथि	06/06/2023
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	06/06/2023
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	--
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	NA
पंजीयन शुल्क (रूपये)	500
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	1000
उप पंजीयक का नाम	PRADEEP NIGAM
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

आम डीड के लिए

संगठन का नाम	मेसर्स शिखर देवकान
अधिकृत व्यक्ति का नाम	श्री मनीष जैन
पता	409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत
संगठन का नाम	मेसर्स शिखर रियल टेक
अधिकृत व्यक्ति का नाम	श्री अर्पण मित्तल
पता	409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर , इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत
संगठन का नाम	मेसर्स शिखर रियल टेक
अधिकृत व्यक्ति का नाम	श्री प्रियेश जैन
पता	409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर , इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed by PRADEEP NIGAM
Date: 2023.06.06 20:45:55 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर

राजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011718052023010384		
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	1000		
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	1000	नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	0
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0	उपकर राशि (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0		
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक		
निर्गमन तिथि एवं समय	18/05/2023 17:59:35		
यूजर आईडी / जारीकर्ता	RENU LADDHA/SP011743005201500057		
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	LG-33, ORBIT MALL, PLOT NO. 305-306, SCH. NO. 54, PU-4, INDORE इन्दौर इंदौर		

डीड विवरण

विलेख का प्रकार: पूर्व में रजिस्ट्रीकृत विलेख को संशोधित या सुधार करने का दस्तावेज

लिखत: पूर्व में रजिस्ट्रीकृत विलेख को संशोधित या सुधार करने का दस्तावेज, परन्तु जिसके द्वारा कोई सारवान परिवर्तन न किया गया हो। स्पष्टीकरण - इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए सारवान परिवर्तन वह है, जो लिखत की मूल स्थिति द्वारा अभिनिश्चित पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों या विधिक स्थिति में फेरफार करता है या अन्यथा मूल रूप से निष्पादित लिखत के विधिक प्रभाव में फेरफार करता है-एक हजार रूपए..

उद्देश्य: Ammd.

पहले पक्ष के विवरण

संगठन का नाम: मेसर्स शिखर देवकान

पता: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर

व्यक्तियों की संख्या: 1

दूसरे पक्ष के विवरण

संगठन का नाम: मेसर्स शिखर रियल टेक

पता: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर

व्यक्तियों की संख्या: 2

संशोधन - पत्र

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

संशोधन – पत्र

मेसर्स शिखर देवकान(भागीदारी फर्म)
पता: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर तर्फे भागीदार
श्री मनीष जैन पिता श्री रखबचंदजी जैन --- प्रथमपक्ष
(संशोधनकर्ता)

मेसर्स शिखर रियल टेक (भागीदारी फर्म)
पता: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर तर्फे भागीदार
(1) श्री अर्पण मित्तल पिता श्री गोविंद मित्तल,
(2) श्री प्रियेश जैन पिता श्री मनीष जैन ---द्वितीयपक्ष

प्रथमपक्ष यह संशोधन-पत्र द्वितीयपक्ष के हित में निम्न शर्तो एवं दायित्वों के अधीन निम्नानुसार निष्पादित कर देते हैं कि :-

(1) यह कि, प्रथमपक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मगरखेड़ा तहसील सांवेर जिला के पटवारी हल्का क्रमांक 19 में स्थित सर्वे नंबर 256/3पैकी(बटांकन पश्चात् सर्वे नंबर 256/3/2) रकबा 0.056 हैक्टेयर भूमि है (जिसे इस लेख में संक्षिप्त में "उक्त भूमि" कहा गया है), पर कालोनी विकास करने हेतु प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य अनुबंध लेख निष्पादित कर पंजीबद्ध किया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक MP179092022A1532156 दिनांक 23.05.2022 है।

उक्त अनुबंध लेख क्रमांक MP179092022A1532156 दिनांक 23.05.2022 में वर्णित कुछ शर्तो का रेरा प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए इस संशोधन पत्र का निष्पादन किया जा रहा है।

उभयपक्षों के मध्य जो शर्ते तय हुई जो इस लेख को साक्ष्यांकित करती है, वे निम्नानुसार है :-

(2) यह की, उक्त वर्णित पंजीकृत अनुबंध लेख क्रमांक MP179092022A1532156 दिनांक 23.05.2022 की चरण क्रमांक 12 को विलोपित माना जावें एवं उक्त चरण क्रमांक 12 के साथ त्रुटिपूर्ण टाईप हुए चरण क्रमांक 06 एवं चरण क्रमांक 09 में संशोधन को निम्नानुसार पढ़ा एवं समझा जावे :-

चरण क्रमांक 06. में की अंतिम पंक्ति में भूलवश टाईप "तथा इस एरिये को विक्रय करने से जो राशि प्राप्त होगी वह भी उभयपक्ष प्राप्त करेंगें" को निरंक(शुन्य) माना जायेगा।

चरण क्रमांक 09. यह कि, उक्त भूमि पर कालोनी विकास कार्य करने की समयावधि 12 माह के स्थान पर 36 माह पढ़ी जावें।

चरण क्रमांक 12-अ. यह कि कॉलोनी में विकसित भूखण्डो का अनुपात प्रथमपक्ष 50 प्रतिशत एवं द्वितीयपक्ष

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Presentation Seal:

मेसर्स शिखर देवकान

Represented By:- श्री मनीष जैन

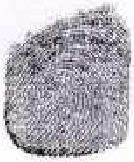

के द्वारा उप जिला इन्दौर जिला इंदौर के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 06/06/2023 को मध्यान्ह पूर्व/मध्यान्ह पश्चात 02:17:46 बजे प्रस्तुत किया गया।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

का 50 प्रतिशत का रहेगा। विकसित होने वाली कालोनी के सभी भूखण्डों को प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने रेशो अनुसार विभाजित कर लिया है, जिसे प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष स्वीकृत ले-आउट प्लान के मानचित्र पर अलग अलग रंग से चिन्हीत कर विभाजित कर लिया जावेगा। उभयपक्ष के द्वारा परियोजना में किये जाने वाले विकित भूखण्ड का आवंटन, अनुबंध, विक्रय लेख व अन्य आवश्यक दस्तावेज संयुक्त रूप से अपने पद/स्वामित्व के आधार पर निष्पादीत व हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

चरण क्रमांक 12-ब. यह कि, उपरोक्त चरण में उल्लेखित प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि को उभयपक्षों द्वारा परियोजना के रेरा नामित खाते में जमा किया जावेगा, उक्त रेरा नामित खाते को विकासकर्ता द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाया जावेगा एवं उक्त खाते का कियान्वयन उभयपक्षों द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4 (2) (ठ) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

चरण क्रमांक 12-स. यह कि भूमिस्वामीगण एवं विकासकर्तागण दोनों ही परियोजना के संप्रवर्तक (प्रमोटर) के रूप में संयुक्त रूप से शामिल होंगे तथा सभी पक्ष पृथक-पृथक तथा संयुक्त रूप से परियोजना के लिए उत्तरदायी होंगे व भू सम्पदा विनियामक (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधान भूमिस्वामीगण एवं विकासकर्ता दोनों पर लागु होकर उभयपक्ष रेरा के प्रावधानों के प्रति पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे।

(3) यह कि, पूर्व में निष्पादित पंजीकृत अनुबंध लेख क्रमांक MP179092022A1532156 दिनांक 23.05.2022 की शेष शर्ते एवं रेशो यथावत है तथा रेशो में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया गया है।

(4) यह कि, उपरोक्त संशोधन कोई नया व्यवहार नहीं है। चुंकि दस्तावेज निष्पादन के समय भूलवश अन्य शर्तो के साथ कुछ चरण टाईप होना रह गए है और कुछ चरण त्रुटिपूर्ण टाईप हो गए है, जिसे रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधित करना आवश्यक हो गया है, इसलिए प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य यह संशोधन पत्र निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया जा रहा है। इस संशोधन पत्र द्वारा अनुबंध पत्र में प्रथमपक्ष का नाम, द्वितीयपक्ष का नाम, कुल एरिया, रेशो, चतुःसीमा आदि में किसी प्रकार का कोई संशोधन नही किया जा रहा है और न हीं इस संशोधन पत्र के निष्पादित होने से अनुबंधित संपत्ति का स्थान परिवर्तन होता हैं। यह संशोधन पत्र उपरोक्त पंजीकृत अनुबंध लेख क्रमांक MP179092022 A1532156 दिनांक 23.05.2022 का ही अभिन्न अंग माना जावेगा।

(5) यह कि, प्रथमपक्ष एक भागीदारी फर्म है तथा फर्म में उपस्थित सभी भागीदारों की परस्पर सहमति से उक्त भूमि के संबंध में दस्तावेज निष्पादित करने हेतु श्री मनीष जैन पिता श्री रखबचंदजी जैन को अधिकृत किया है।

(6) यह कि, द्वितीयपक्ष एक भागीदारी फर्म है तथा फर्म में उपस्थित सभी भागीदारों की परस्पर सहमति से उक्त भूमि के संबंध में दस्तावेज निष्पादित करने हेतु (1) श्री अर्पण मित्तल पिता श्री गोविंद मित्तल, (2) श्री प्रियेश जैन पिता श्री मनीष जैन को अधिकृत किया है।

(7) यह कि, इस संशोधन लेख द्वारा लिखत में अभिनिश्चित पक्षकारों के अधिकारों दायित्वों या विधिक स्थिति

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Admission Seal:

मेसर्स शिखर देवकान	Represented By:-	श्री मनीष जैन	Address: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर
मेसर्स शिखर रियल टेक	Represented By:-	श्री अर्पण मित्तल	Address: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर
मेसर्स शिखर रियल टेक	Represented By:-	श्री प्रियेश जैन	Address: 409, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया, इन्दौर

स्वीकार करते हैं कि कथित पूर्व में रजिस्ट्रीकृत विलेख को संशोधित या सुधार करने का दस्तावेज विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूपए 0 प्राप्त हो गये हैं तथा रूपए 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूपए 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी । तारीख 06/06/2023

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

में कोई परिवर्तन नही हो रहा है और ना ही मूल रूप से निष्पादित लिखत के विधिक प्रभाव में फेरफार हो रहा है।

(8) यह कि, पूर्व में निष्पादित विकास अनुबंध दिनांक 23.05.2022 (जोकि इस संशोधन लेख का मुखय भाग है) के अनुबंध व इस संशोधन लेख में यदि किसी बिंदु में विराधाभास होता है, तो इस संशोधन लेख के बिंदु को मान्य माना जावेगा। इस संशोधन में सभी पक्ष सहमत है।

अतः यह संशोधन लेख आज दिनांक को प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हित में इस विलेख को बगैर कोई नशा-पानी किए, स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में सोच-समझकर, पढ़कर, सुनकर निम्न साक्षीगणों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया। सो प्रमाण रहे।

This deed has been prepared, drafted and uploaded as per instructions, information and facts provided by the parties of the deed. Advocate(s), who drafted this deed, and Service Provider, who has only booked the slot (and not involved in any activity of the viz. Drafting, typing of the deed, validity of the identity of the parties. Site photographs and entire facts, recitals and data of the deed), have not gone through the facts of the deed viz. Identity of the parties, ownership (title) of the owner(s), site photographs (if any), all the facts and recitals of the deed etc. So they (Advocate and Service Provider of this deed) will not take any responsibility whether criminal, civil, or taxation specially laws related to registration Act. 1908 Section 82 and all provision regarding any offence, penalty imprisonment under registration Act, rules, manuals, circulars etc, Indian Stamp Act 1899 and its rules, cyber law and all other acts, rules, circulars, and instructions of various officers/Authorities acts regarding above, I.e. Advocate(s) and Service Provider disowned all the legal, factual, criminal and all other responsibilities which are not mentioned in this Disclaimer.
Sanjeev Laddha, Advocate

---------------Please turn over/क्रप्या पृष्ठ पलटिये।---------------

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

hari pal	पुत्र/आत्मज harnam	पता: 125 rukhmani nagar indore
prakshal jain	पुत्र/आत्मज manish	पता: 18/3 new Mahesh nagar indore

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 06/06/2023

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

मै/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठो के विवरणों एव प्रविष्टियो को, दस्तावेज के आईडी 33733527 तथा ई-स्टाम्प कोड 01011718052023010384 सहित, एतद् द्वारा अभिप्रमाणित एवं पुष्टि करते है, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरो से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते है।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारो के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारो के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :

For Shikhar Realtech
Partner

For Shikhar Realtech
Partner

अन्य पक्षकार/ पक्षकारो के हस्ताक्षर :
नाम तथा पिता का नाम :

गवाह 1 का नाम
पता
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर

गवाह 2 का नाम
पता
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

इस दस्तावेज के निष्पादक श्री मनीष जैन के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 06/06/2023 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

इस दस्तावेज के निष्पादक श्री अर्पण मित्तल के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 06/06/2023 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :

इस दस्तावेज के निष्पादक श्री प्रियेश जैन के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 06/06/2023 को लिया गया ।

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

गवाह मुद्रा :

hari pal

prakshal jain

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्राः

स्टाम्प शुल्क	1000
नगरीय शुल्क	0
जनपद पंचायत शुल्क	0
उपकर	0
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	1000

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रानिक पंजीयन दिनांक 06/06/2023 को क्रमांक MP179092023A11949060 दे कर किया गया है। जिसमें 15 पृष्ठ समाविष्ट है

स्टाम्प शुल्क	1000

पंजीयन शुल्क	500
प्रतिलिपि शुल्क	0
अधिक	0
योग	500

PRADEEP NIGAM
वरिष्ठ उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर 1